1-सामान्य

1. ***आरक्षण की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना :-***

प्रत्येक 'पंचायत' विभिन्न वार्डों में विभाजित की गई है। समाज के विभिन्न वर्गो और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से वार्ड, विधि द्वारा विहित रीति से अनूसूचित जाति, अनूसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं। जो वार्ड जिस वर्ग के लिये आरक्षित है, उस वार्ड से उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है । अतः आपके लिये सर्वप्रथम यह जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है कि आप जिस वार्ड से निर्वाचन के लिये खड़ा होना चाहते है, वह किस वर्ग के लिये आरक्षित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला या पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये आरक्षित वार्डों से वही चुनाव लड़ सकता है जो उस जाति या वर्ग का हो। इस प्रकार के आरक्षित वार्डों में तथा बाकी बचे वार्डों में एक तिहाई वार्ड ऐसे रहते हैं जिनमें केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं अर्थात् जो महिलाओं के लिये आरक्षित है। अतः किसी वार्ड विशेष से चुनाव में खड़े होने के पूर्व इस बात का समाधान कर लेना चाहिए कि उस वार्ड से आप चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं ।

2. ***अर्हता/निरर्हता***

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 173, 173ए, 174, 175

(i) *किसी वार्ड से अभ्यर्थी के मूल अर्हताओं में से एक अर्हता यह है कि आपका नाम, सम्बन्धित गांव/खण्ड/जिला के किसी वार्ड की मतदाता सूची में पंजीकृत हो तथा आपकी आयु 21 वर्ष से कम न हो ।*

(ii) *आपको चुनाव में खड़े होने के लिये ऐसी किसी निरर्हता से मुक्त होना चाहिए जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 में उल्लिखित है।*

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 173, 173 ए, 174 व 175 में वर्णित प्रावधानों का उद्धरण ***परिशिष्ट–एक*** *में है ।*

2-नामांकन–पत्रों की प्रस्तुति
(निर्वाचन नियम 24 से 28)

1. निर्वाचन नियम 24 के अन्तर्गत निर्वाचन समय अनुसूची अधिसूचना अनुसार नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का कार्य प्रारम्भ होगा। निर्वाचन की सूचना में निम्नांकित बातों का सुस्पष्ट उल्लेख रहता है:–

1. नामांकन करने के लिये अन्तिम तारीख, समय तथा स्थान
2. नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिये तारीख, समय तथा स्थान
3. अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तारीख तथा समय
4. मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, की तारीख, समय और
5. मतगणना की तारीख, समय और स्थान

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिये केवल तीन दिन मिलते हैं । अतः आपको चाहिए कि आप अपना नामांकन पत्र निर्दिष्ट समय और स्थान पर तथा रिटर्निंग आफिसर या ऐसे सहायक रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करें जिसे इस हेतु प्राधिकृत किया गया हो । नामांकन पत्र केवल अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। "**सार्वजनिक अवकाश**" के दिन नामांकन पत्र नहीं लिये जाते हैं । **सार्वजनिक अवकाश** से आशय केवल ऐसे अवकाश से है जिस दिन राज्य शासन द्वारा कार्यालयों के साथ–2 कोषालय एवं उप–कोषालय भी बन्द हो। यदि कोई अवकाश केवल शासकीय कार्यालयों के लिये हो, परन्तु शासकीय कोषालय एवं उप–कोषालयों के लिये न हो तो वह **सार्वजनिक अवकाश** नहीं माना जाएगा तथा उस दिन नामांकन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही किसी भी अन्य कार्यकारी दिवस के समान ही की जाएगी।

2. नामांकन पत्र **परिशिष्ट–दो** में उद्धृत प्ररूप (फार्म) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसकी छपी हुई प्रतियां रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में निशुल्कः उपलब्ध है ।

3. नामाकंन–पत्र कार्यकारी दिनों में 10.00 बजे पूर्वाह्न से 4–00 बजे अपराह्न के बीच प्रस्तुत किये जा सकते हैं । किन्तु नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत आखरी तारीख को यदि 4–00 बजे अपर्राहन् तक जो भी अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में उपस्थिति हो चुका हो, उससे नामांकन पत्र ग्रहण किया जायेगा।

4. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के पहले, यह आवश्यक है कि आपके द्वारा निम्नानुसार धनराशि प्रतिभूति (निक्षेप) के रूप में रिटर्निंग आफिसर के पास जमा की जाए :–

(i) पंचायत के किसी वार्ड के पंच के निर्वाचन के मामले में रूपये 100/– और जहां कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, रूपये 40/–

(ii) सरपंच के मामले में रूपये 200/– और जहां कोई अभ्यर्थी अनूसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, वहां रूपये 100/–

(iii) पंचायत समिति के मामले में रूपये 300/– और जहां कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, वहां रूपये 150/–

(iv) *जिला परिषद् के मामले में रूपये 400/– और जहां कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, वहां रूपये 200/–*

यह राशि या तो नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी के पास या नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिये अधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास नकद जमा कराई जा सकती है या इसे उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप–कोषालय में चालान से भी जमा की जा सकती है ।

*राशि कोषालय या उप–कोषालय में जमा किये जाने की स्थिति में आपको रसीद या चालान की प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी रियायती दर पर **निक्षेप** का हकदार है भले ही वह किसी अनारक्षित वार्ड से चुनाव क्यों न लड़ रहा हो।*

5. (i) *नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व आपको इस बात को सावधानी से देख लेना चाहिए ताकि नामाकंन प्रतिक्षेपित (खारिज) होने की नौबत न आएः–*

कि मतदाता सूची में आपका भाग अनुकमांक तथा मतदाता क्रमांक है ।

(ii) *सामान्यतः आपको नामांकन पत्र में अपना नाम वैसा ही लिखना चाहिए जैसा कि वह मतदाता सूची में दर्ज है । यदि आप पांए कि मतदाता सूचि में आपके नाम की वर्तनी (हिज्जे) त्रुटिपूर्ण है या नाम में अशुद्धि है तो आप नामांकन पत्र में अपना नाम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। रिटर्निंग आफिसर इस प्रकार की मामूली भिन्नता को नजर अन्दाज करेगा।*

(iii) *आपको अपने नामांकन पत्र में सही आयु का उल्लेख करना चाहिए। यदि मतदाता सूची में आपकी आयु सही आयु से भिन्न लिखी हो तो भी आपको वर्तमान आयु ही बतानी चाहिए। यदि आपकी आयु अभ्यर्थिता के लिये न्यूनतम आवश्यक आयु अर्थात् 21 वर्ष के आसपास हो और ऐसी आशंका हो कि आपकी आयु के बारे में किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति उठाई जा सकती है तो आपको अपनी आयु के सम्बन्ध में अपने पास पर्याप्त प्रमाण भी रखना चाहिए।*

(iv) *यदि आप किसी आरक्षित वार्ड से अभ्यर्थी हो तो आपको नामांकन पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति या अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। केवल अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य होना लिख देना या इन शब्दों के सामने सही का निशान (√) लगा देना पर्याप्त नहीं है । महिला अभ्यर्थी को भी स्पष्ट रूप से यह लिखना होगा कि वह महिला वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल कर रही है ।*

6. *नामांकन पत्र में उपरिलेखन (ओवर राईटिंग) या काटकूट नहीं की जानी चाहिए। यदि प्ररूप भरने में त्रुटियां या काटकूट हो जाए तो उसे प्रस्तुत न किया जाए और दूसरा प्ररूप तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। काटकूट मामूली किस्म की हो तो उसके उपर आपको अपने लघु हस्ताक्षर करने चाहिए।*

7. *नामांकन पत्र में आपके द्वारा जिस प्रकार अपना नाम लिखा जायेगा। ठीक उसी प्रकार वह मतपत्रों में छपेगा। अतः आपको चाहिए कि नामांकन पत्र में अपना नाम वैसे ही लिखें जैसा आप उसे मतपत्रों में मुद्रित कराना चाहते हैं।*

8. *यदि आप पंचायत समिति या जिला परिषद् का सदस्य होने के लिये नामांकन पत्र दाखिल करते है तो आपको नामांकन पत्र में अपनी पसन्द के किन्हीं तीन निर्वाचन प्रतीको (चुनाव चिह्नों) का उल्लेख*

करना होगा। आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित निर्वाचन प्रतीकों की सूची में से जो कि ***परिशिष्ट–तीन*** *में उद्धधृत है (तथा जिसके अनुसार प्रतीकों के नमूने रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में देखे जा सकते है), अपनी पसन्द के तीन प्रतीक चुनने होगें। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतीकों के आबंटन में आपके द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र में दर्शाए गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा। जहां तक पंच तथा सरपंच के पदों के अभ्यर्थी का सम्बन्ध है उनको नियम 32(2) के अनुसार चुनाव चिह्न आयोग द्वारा निर्धारित सूची में से देवनागरी लिपि के वर्णक्रमानुसार दिया जायेगा।*

9. *नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे प्राप्त करने वाले रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा विहित प्ररूप में एक रसीद (पावती) दी जायेगी। जिसमें नामांकन पत्र की संवीक्षा (जांच) करने की तारीख की सूचना भी अंकित रहेगी। इस रसीद को आप सभांल कर रखे क्योंकि यदि बाद में आपने अभ्यर्थिता वापिस लेने का निर्णय लिया तो इस रसीद को अभ्यर्थिता वापिस लेने के आवेदन के साथ संलग्न करना या इसे दिखाना आवश्यक होगा।*

3-नामांकन–पत्रों की संवीक्षा (जांच)
(निर्वाचन नियम 29 तथा 30)

1. नामांकन पत्र की संवीक्षा (जांच) का कार्य नामांकन पत्र दाखिल करने के लिये नियत अन्तिम तारीख के ठीक आगामी कार्यकारी दिवस को किया जायेगा। संवीक्षा केवल रिटर्निंग आफिसर द्वारा ही की जायेगी, किसी सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा नहीं। संवीक्षा के दौरान केवल निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं :–

1. आप स्वयं
2. आपका निर्वाचन अभिकर्ता यदि कोई हो,

संवीक्षा के दौरान आपको, सभी अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों का निरीक्षण करने का पूरा अवसर दिया जायेगा।

2. संवीक्षा में किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी भूल या ऐसी त्रुटि जो सारभूत प्रकार की नहीं है को नजर अन्दाज किया जायेगा।

3. आपको किसी भी नामांकन पत्र के बारे में तुच्छ या तकनीकी किस्म के आक्षेप नहीं उठाने चाहिए। नामांकन पत्र को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकृत करना विधि सम्मत होगा।

(क) कि अभ्यर्थी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन खाली सीट पर निर्वाचित होने के लिये अयोग्य होगा।

(ख) कि अभ्यर्थी ने नियम 26,27 एवं 28 के अनुसार कार्यवाही नहीं की ।

(ग) नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर सही नहीं है ।

4. प्रत्येक नामांकन पत्र के बारे में रिटर्निंग आफिसर स्वतः भी समाधान करेगा कि नामांकन पत्र विधिमान्य है या नहीं। यदि नामांकन पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की जाए तो उसका विनिश्चय करने के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा संक्षिप्त जांच की जायेगी। यदि आपत्ति को प्रथम दृष्टतया अमान्य नहीं किया जा रहा हो तो अभ्यर्थी को उसका खंडन करने का अवसर दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक आपत्ति पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

5. किसी आक्षेप (आपत्ति) को सिद्ध करने का भार आक्षेपकर्ता पर है ।

6. संवींक्षा के दौरान उठाए जाने वाले आक्षेपों का खंडन करने के लिये आपके पास निम्नांकित दस्तावेज होना वांछनीय है :–

(1) मतदाता सूची के सुसंगत भाग की एक प्रति अथवा मतदाता सूची में आपके तथा आपके प्रस्तावक के नामों से सम्बन्धित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति,

(2) प्रतिभूति राशि (निक्षेप) जमा करने की रसीद या चालान की प्रति,

(3) आयु के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण,

(4) नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की रसीद,

(5) *यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हो तो सम्बन्धित जाति वर्ग का सदस्य होने का सतोंषजनक प्रमाण।*

7. *आपत्तियों के सम्बन्ध में जांच और सुनवाई के पश्चात्, किसी नामांकन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने के सम्बनध में रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपना विनिश्चिय अभिलिखित (लेखबद्ध) किया जायेगा। यदि निर्णय नामांकन पत्र को खारिज करने का हो तो उसके लिए कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जायेगा। यदि आपका नामांकन पत्र किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है तो आपको रिटर्निंग आफिसर के आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लेनी चाहिए।*

8. *किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत नामांकन पत्र स्वीकृत हो जाता है तो वह अभ्यर्थी नाम निर्दिष्ट समझा जायेगा।*

9. *समस्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा कर लिये जाने तथा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का विनिश्चिय हो जाने के तुरन्त बाद रिटर्निंग आफिसर उन अभ्यर्थियों की, जिनके नामांकन पत्र स्वीकार कर लिये गये हैं, एक सूची तैयार करेगा और उसे अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित करेगा।*

4-अभ्यर्थिता की वापसी
(निर्वाचन नियम 31)

यदि आप किसी कारण से चुनाव न लड़ना चाहे और अपना नाम वापिस लेना चाहे तो आपको ***परिशिष्ट–चार*** *में विहित प्ररूप में रिटर्निंग आफिसर को एक आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। (उस तारीख का उल्लेख जारी की गई निर्वाचन की सूचना में रहता है) आवेदन पत्र नामांकन पत्र की संवीक्षा समाप्त हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। आवेदन पत्र आपके द्वारा स्वयं या इस निमित लिखित रूप में प्राधिकृत किये जाने पर, अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया जाना होगा।*

2. *एक बार अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन दे दिये जाने के बाद उसे वापिस नहीं लिया जा सकेगा।*

3. *अभ्यर्थिता वापिस लिये जाने के आवेदन पत्र को तभी स्वीकार किया जायेगा जबकि उसकी प्रमाणिकता तथा उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान के सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाए, यदि आवेदन पत्र आपके द्वारा स्वयं प्रस्तुत न किया जा रहा हो तो रिटर्निंग आफिसर मामले में अपने समाधान के लिये आवश्यक जांच पड़ताल करेगा।*

4. (i) *निर्वाचन विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर उसकी अभ्यर्थिता* (उम्मीदवारी) *की भ्रष्ट रूप से वापसी कराना एक भ्रष्ट आचरण है ।*

(ii) *प्रतिरूपण या छल द्वारा किसी व्यक्ति को अभ्यर्थिता की वापसी का कृत्य भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 171* (च) *तथा 416 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है ।*

5. *जिन अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हो उनकी सूची रिटर्निंग आफिसर द्वारा आम लोगो की जानकारी के लिए विहित प्ररूप में अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित की जायेगी।*

5-निर्वाचन लड़ने वाले आम्यर्थियों के नामों की सूची तैयार करना और प्रतीक आबंटन (निर्वाचन नियम 32,33 तथा 34)

1. अभ्यर्थिता वापस लेने का समय समाप्त होने के तत्काल बाद रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों (अर्थात् ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नामांकन पत्र संवीक्षा में वैध पाए गये हैं और जिन्होनें अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है) की सूचि तैयार की जायेगी।

2. सूची में प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और पता ठीक उसी प्रकार लिखा जाएगा जैसा उसने नामांकन पत्र में लिखा हो। सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि के वर्णक्रमानुसार तैयार की जायेगी।

3. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचि तैयार हो जाने के बाद अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आबंटित कर दिये जायेंगे।

4. पंच तथा सरपंच के चुनाव दलीय आधार पर नहीं किये जाते हैं। अतः पंच तथा सरपंच के लिए चुनाव चिह्नों का आबंटन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सूची में, देवनागरी लिपि के वर्ण क्रमानुसार ही किया जायेगा।

5. सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद् के लिए चुनाव राष्ट्रीय दल अथवा हरियाणा राज्य में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल के आधार पर भी लड़े जा सकते हैं । दलीय आधार पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उनके दल के लिए आरक्षित चुनाव चिह्न ही आबंटित किये जायेगें । दलीय आधार पर चुनाव न होने कि स्थिति में, पंचायत समिति व जिला परिषद् के निर्वाचनों में निशानों का आबटन निम्न आधार पर किया जायेगाः–

(i) अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आबंटित करते समय उनके द्वारा नामांकन पत्रों में उल्लिखित प्राथमिकता क्रम (पसन्द) को ध्यान में रखा जायेगा कोई भी अभ्यर्थी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता और यदि उसके द्वारा अपने नामांकन पत्र में अन्य किसी प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उसे नजर अन्दाज किया जायेगा।

(ii) आपके द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

6 अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र में दर्शित प्राथमिकता क्रम के आधार पर निर्वाचन प्रतीक आबंटित किये जायेगे। यदि किसी एक प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी पसन्द में प्रथम स्थान पर रखा हो तो प्रतीक के आबंटन का निर्णय लाट द्वारा किया जायेगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लाट (पर्ची) निकले उसे ही वह प्रतीक आबंटित किया जायेगा। लाट निकालने की कार्यवाही अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जायेगी।

प्रथम स्थान पर अंकित प्रतीकों का आबंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता क्रम के दूसरे (स्थान के प्रतीक का आबंटन उपर अंकित प्रक्रिया के अनुसार ही) अर्थात् आवश्यक होने पर लाट द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता क्रम के तीसरे स्थान के

*निर्वाचन प्रतीक का आबंटन उपरोक्तानुसार प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। पहले, दूसरे और तीसरे कम के सभी निर्वाचन प्रतीक आबंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है जिसे अपनी पसन्द का कोई प्रतीक आबंटित न हुआ तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रतीको में से (जिनका विवरण **परिशिष्ट–तीन में है**) कम में सबसे उपर वाला वह प्रतीक आबंटित किया जायेगा जो किसी अभ्यर्थी को आबंटित न किया गया हो। प्रतीकों का कमवार इस प्रकार का आबंटन, अभ्यर्थियों को वर्ण कमानुसार, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।*

7 *निर्वाचन प्रतीक का आबंटन होते ही रिटर्निंग आफिसर द्वारा आबंटित निर्वाचन प्रतीक का एक नमूना सम्बन्धित अभ्यथीर्यों को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही **परिशिष्ट–पांच** से **पारिशिष्ट पांच–ग** में तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचि में प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आबंटित निर्वाचन प्रतीक दर्शाया जायेगा। इस सूची को रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित किया जायेगा और उसकी एक –एक प्रति प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को भी दी जायेगी।*

8. *रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के बाद, प्रत्येक अभ्यर्थी को, निम्नांकित प्ररूप में एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा।*

अभ्यर्थी पहचान पत्र

श्री/श्रीमति/कुमारी________________________________जिला परिषद्/पंचायत समिति /सरपंच/पंचायत ___________________________ के वार्ड कमांक __________________से निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (*रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर*)
स्थानः–
दिनांकः–

सील

आपको चाहिए कि आप यह पहचान पत्र अवश्य प्राप्त कर लें क्योंकि निर्वाचन के दौरान विभिन्न अवसरों पर आपको अपनी पहचान स्थापित कराने में यह काफी सहायक होगा।

6-*अभ्यर्थियों के अभिकर्ता*
(निर्वाचन नियम 35 से 35 घ तक)

1. *निर्वाचन अभिकर्ता :*

(1) *यदि आप चाहे तो किसी व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। परन्तु यह जरूरी नहीं है कि निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की ही जाये। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी भी समय की जा सकती है ।*

(2) *निर्वाचन अभिकर्ता ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो पंच/ सरपंच/पंचायत समिति/जिला परिषद् के किसी निर्वाचन में निर्वाचित किये जाने या उसमें मतदान करने के लिये निरर्हित न हो।*

(3) *निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति* ***परिशिष्ट–छः*** *में उद्धधृत प्ररूप में की जायेगी। नियुक्ति पत्र रिटर्निंग आफिसर को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा, जो उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति पर, अनुमोदन प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करके लौटा देगा।*

(4) *आप अपने निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति किसी भी समय रिटर्निंग आफिसर को एक हस्ताक्षारित लिखित घोषणा प्रस्तुत करके प्रतिसहंरित (रद्) कर सकते हैं । ऐसे प्रतिसंहरण या निर्वाचन अभिकर्ता की अक्समात् मृत्यु की स्थिति में आप दूसरे निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं ।*

(5) *निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव सम्बन्धित कार्यों को आपके प्रतिनिधि की हैसियत से कर सकता है। उसके सारे कृत और अकृत कार्यों के लिये आपको ही जिम्मेदार माना जायेगा। वस्तुतः निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किये गये किसी भ्रष्ट आचरण के लिये भी अभ्यर्थी ही दोषी माना जाता है और इस आधार पर उसका निर्वाचन रद्द भी हो सकता है । अतः निर्वाचन अभिकर्ता के चयन में आपको पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए ।*

(6) *निर्वाचन अभिकर्ता के प्रमुख कर्तव्य निम्नाकिंत है :–*

(क) *नामांकन पत्रों की संवींक्षा के समय उपस्थित रहना।*

(ख) *आपके द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किये जाने पर रिटर्निंग आफिसर को आपकी ओर से अभ्यर्थिता वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना ।*

(ग) *मतदान अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता की नियुक्ति करना ।*

(घ) *मतदान के दिन आपके वार्ड के मतदान केन्द्र/मतदान केन्द्रों में पहुंचकर आपके हितों की देखभाल करना और*

(ङ) *मतगणना के दिन उपस्थित रहकर आपके हितो की देखभाल करना ।*

2. *मतदान अभिकर्ताः*

(1) *आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे है उसमें यदि एक से अधिक मतदान केन्द्र हो तो मतदान के दिन आपके या आपके निर्वाचन अभिकर्ता के लिये प्रत्येक मतदान केन्द्र में*

लगातार उपस्थित रहना कठिन होगा। अतः प्रत्येक मतदान केन्द्र में अपने हितों का ध्यान रखने के लिये आपको प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये एक मतदान अभिकर्ता तथा एक एवजी अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है। किन्तु किसी भी एक मतदान केन्द्र के लिये नियुक्त किये गये आपके मतदान अभिकर्ता तथा एवजी अभिकर्ता में से केवल एक ही अभिकर्ता केन्द्र के अन्दर उपस्थित रह सकता है। तथापि आपके लिये यह बाध्यकर नहीं कि आप मतदान अभिकर्ता या उसके एवजी नियुक्ति करें ही। मतदान केन्द्र के अन्दर सीमित स्थान होने के कारण किसी अभ्यर्थी की ओर से एक बार में केवल एक ही प्रतिनिधि को बैठाना सम्भव होगा। अतः यदि बीच में आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता केन्द्र के अन्दर जाये तो वह बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था की अपेक्षा न करे।

(2) *मतदान अभिकर्ताओ की नियुक्ति आपके द्वारा या आपके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित रूप में* ***परिशिष्ट–सात*** *में की जायेगी। नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में भरा जायेगा और दोनों प्रतियां मतदान अभिकर्ता को दी जायेगी। मतदान अभिकर्ता मतदान के लिये नियत तारीख को मतदान केन्द्र पर एक प्रति पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। इस प्रति को पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेगा।*

(3) *आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता, किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को लिखित रूप में की गई घोषणा के द्वारा प्रतिसंहरित (रद्द) कर सके हैं। रद् की गई ऐसी घोषणा :–*

(क) *उस दशा में जहां नियुक्ति मतदान की तारीख से पांच दिन पूर्व प्रतिसंहरित (रद्द) की जाती है, रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत की जायेगी, तथा*

(ख) *अन्य दशा में रिटर्निंग आफिसर को या सम्बन्धित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी ।*

(4) *मतदान अभिकर्ता को मतदान शुरू होने के लिये निर्धारित समय से कम से कम आधा घन्टा पहले निर्धारित मतदान केन्द्र पर पहुंच जाना चाहिए। इससे वह उस समय उपस्थित रह सकेगा। जब पीठासीन अधिकारी मतदान कराने के लिए मतपेटी तैयार करता है। यदि मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व की कोई कार्यवाही पूरी की जा चुकी हो तो विलम्ब से आने वाले किसी अभिकर्ता की सतुंष्टि के लिये उसे नये सिरे से नहीं किया जायेगा।*

(5) *आपके मतदान अभिकर्ता का प्रमुख दायित्व मतदान केन्द्र पर आपके हितों की देखभाल करना है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित कर्तव्य विशेष तौर पर उल्लेखनीय है :–*

(क) *फर्जी मतदान रोकने के लिये प्रतिरक्षण, अर्थात् छद्म नामधारी मतदाताओ के प्रति सचेष्ट रहना तथा यदि ऐसा कोई व्यक्ति मतदान करने आये तो उसकी पहचान को चुनौती देना,*

(ख) *मतदान के पूर्व तथा बाद में मतपेटीं/मतपेटियों को समुचित रूप से सील बन्द करवाने में सहायता करना,*

(ग) मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी से मतपत्र लेखा की एक प्रति प्राप्त करना और

(घ) यह देखना कि मतदान से सम्बन्धित कागजात विधि की अपेक्षानुसार ठीक प्रकार से सुरक्षित तथा सील बन्द कर दिये गये हैं।

(6) मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र पर अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं ले जानी चाहिए :-

(क) अपना नियुक्ति पत्र

(ख) मतदान केन्द्र की मतदाता सूची

(ग) मतदान केन्द्र से सम्बन्धित मतदाता सूची में सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों की सूचि जो अब जीवित नहीं है या नगर छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं। (यदि पुष्टि पुष्ट जानकारी हो तो)

(घ) ब्रास (पीतल की) सील तथा

(ङ) बाल पाइन्ट पैन।

(7) मतदान केन्द्र के भीतर या उसके 100 मीटर क्षेत्र के अन्दर मतदान अभिकर्ता के लिये कोई ऐसा बिल्ला (बैज) लगाना निषिद्ध है, जिसमें अभ्यर्थी या किसी राजनीतिक नेता का कोई फोटो/चित्र हो तथा मत संयाचना करने की दृष्टि से कुछ लिखा हो। ऐसा करना एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिये 1000/- रूपये तक के आर्थिक दण्ड का प्रावधान है ।

3. **गणन अभिकर्ता :-**

(1) मतगणना के दौरान आपके हितों की देखभाल के लिये गणन अभिकर्ता नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। सामान्तः एक वार्ड में डाले गये मतपत्रों की गणना के लिये एक ही गणना मेज रहेगी। यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र भी हो तब भी उनमें डाले गये मतों की गणना, बारी-बारी से, उसी मेज पर की जायेगी। आपके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले गणना अभिकर्ताओं की संख्या निम्नानुसार रहेगी :-

(क) यदि आपके वार्ड में केवल एक ही मतदान केन्द्र हो तो एक गणन अभिकर्ता

(ख) यदि आपके वार्ड में दो या दो से अधिक मतदान केन्द्र हो तो दो गणन अभिकर्ता, यदि आपने कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त न किया हो तो आपको एक और गणन अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जायेगी ।

(2) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति आप या आपके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा **परिशिष्ट-आठ** में उद्धधृत प्ररूप में दो प्रतियों में की जायेगी। एक प्रति रिटर्निंग आफिसर को भेज दें तथा दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को सौंप दें जो उसे मतगणना के लिये नियत तारीख को मतगणना भवन में प्रवेश पाने के लिये रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर रिटर्निंग आफिसर के समक्ष हस्ताक्षर करेगा ।

(3) *गणन अभिकर्ता की नियुक्ति मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व कभी भी की जा सकती है। यदि मतगणना समाप्त होने के पहले ही गणन अभिकर्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाये तो आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता रिटर्निंग आफिसर को लिखित रिपोर्ट देकर तत्काल नए गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं ।*

आप लिखित घोषणा द्वारा अपने गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कभी भी प्रतिसंहरित (रद्‌द) कर सकते हैं तथा उसके स्थान पर दूसरा गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं।

7- निर्वाचन अपराध तथा भ्रष्ट आचरण तथा चुनाव याचिका बारे

1. *निर्वाचन अपराध :*

निर्वाचन की शुद्धता और स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाले अनेक कृत्य अपराध माने गये हैं। ऐसे आपराधिक कृत्यों से आपको पूरी तरह बचना चाहिए, अन्यथा आपकी अभ्यर्थिता और निर्वाचन खतरे में पड़ जायेगें। इनका सूक्ष्म विवरण निम्नानुसार है :–

(क) ***भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (आई.पी.सी.) के अन्तर्गत निर्वाचन अपराध :–***

(1) ***रिश्वत :***

किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्वेश्य से पारितोष या ईनाम देना और लेना (धारा 171–ख)

(2) ***निर्वाचन में अनुचित असर डालना :***

किसी मतदाता को धमकी देना या प्रलोभन देना और निर्वाचन अधिकार के निबार्ध प्रयोग में हस्तक्षेप करना (धारा 171–ग)

(3) ***निर्वाचन में प्रतिरूपण :***

किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चाहे व जीवित हो या मृत या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करना या मत देना या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् पुनः अपने नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करना या किसी को इस प्रकार के कार्य के लिये दुष्प्रेरित करना (उकसाना) (धारा 171–घ)

(4) ***निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन :***

निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक आचरण या व्यवहार के सम्बन्ध में कोई ऐसा कथन करना या प्रकाशित करना जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होने की जानकारी हो या विश्वास हो (धारा 171–छ)

(5) ***निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय :–***

किसी अभ्यर्थी के लिखित प्राधिकार के बिना ऐसा अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने के लिये सार्वजनिक सभा के आयोजन या किसी विज्ञापन आदि पर व्यय करना (धारा 171–ज)

(6) *धर्म, भाषा, जन्म, स्थान, निवास स्थान आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गो के बीच वैमनस्यता फैलाने या सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना (धारा 153–क)*

(ख) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम 1994 के अन्तर्गत निर्वाचन अपराध :*

(1) *मतदान केन्द्र के पास मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये प्रचार, किसी अभ्यर्थी के पक्ष या विरूद्ध मत देने का आग्रह, किसी प्रकार के नोटिस या संकेत का प्रदर्शन करना (धारा 180)*

(2) *मतदान केन्द्र के पास अव्यवस्थित आचरण, चिल्लाना या मेगाफोन/लाउड स्पीकर का प्रयोग करना, जिसमें मतदान केन्द्र पर कार्यरत कर्मियों के कार्य में व्यवधान हो (धारा 181)*

(3) *मतदान केन्द्र पर दुराचरण तथा मतदान अधिकारी के विधिसंगत निर्देशों का पालन न करना (धारा 182)*

(4) *मतदान केन्द्र से मतपत्र बाहर ले जाना (धारा 186)*

(5) *केन्द्र पर प्रदर्शित किसी नोटिस या सूचना को फाड़ना या बिगाड़ना, मतपेटी में मतपत्र के अतिरिक्त कोई और चीज डालना, मतपेटी को क्षति पहुंचाना या उससे छेड़छाड़ करना (धारा 187)*

2-चुनाव याचिका (कोर्ट केस) दायर करने बारे

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 176–निर्वाचन की विधिमान्यता का निर्धारण न्यायाधीश द्वारा जांच और प्रकिया –यदि किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के किसी सदस्य या ग्राम पंचायत के सरपंच कमशः पंचायत समिति या जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, प्रधान या उप–प्रधान के निर्वाचन की विधिमान्यता को चुनाव लड़ रहे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी से निर्वाचन में जिसके प्रश्न संबंधित हों, मत देने के लिए योग्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत की जाती है, <u>तो ऐसा व्यक्ति, निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तिथि के बाद तीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी समय</u>, ऐसे प्रशन के निर्धारण के लिए, ऐसे क्षेत्र में जिसके भीतर निर्वाचन कराया गया है या कराया जाना चाहिए था सामान्य अधिकारिता के सिविल न्यायालय को को एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

8–निर्वाचन अभियान

अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख तथा मतदान की तारीख के बीच कम से कम 5 दिन का अन्तराल होगा। इस अवधि के दौरान आप अपना चुनाव अभियान चलाने के लिये स्वतन्त्र हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आस्था और भावनाओं की सम्पुष्टि के लिये निर्वाचन अभियान का संचालन सौम्यता और शालीनता से, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा के वातावरण में किया जाना चाहिए।

1. *अभियान के संचालन के प्रारम्भ में आपको अपने कार्यकर्ताओं को निर्वाचन कानून तथा नियमों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देनी चाहिए ताकि वे ऐसा कोई कार्य न करे जो निर्वाचन अपराध अथवा भ्रष्ट आचरण की परिधि में आता हो या जिससे आचरण संहिता का उल्लंघन होता हो । अन्यथा आपका निर्वाचन संकट में पड़ जायेगा। यदि आपकी जानकारी में कानून तथा नियमों के उल्लंघन की अथवा भ्रष्ट आचरण की कोई घटना आए तो उसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी (अर्थात् कलैक्टर) को दें। शिकायतें सत्यापित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, कही सुनी तुच्छ या अपुष्ट बातों पर नहीं ।*

2. *मतदाताओं को मतदान के दिन की प्रकिया के बारे में शिक्षित करने के उद्धेश्य से आप पूर्वाभ्यास या प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर सकते हैं । इस हेतू आप अपने नाम तथा प्रतीक का उपयोग करते हुये तथा उसमें वह स्थान दर्शाते हुये जंहा पर वास्तविक मतपत्र में वह प्रतीक होगा, डम्मी (नमूने के) मतपत्र भी छपवा सकते हैं । तथापि डम्मी मतपत्रों में निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों के असली नाम तथा प्रतीक नहीं होने चाहिए और न ही उनका रंग वास्तविक मतपत्रों का सा (अर्थात् उनके रंग के समान) होना चाहिए। मतदाताओं को जानकारी देने के उद्धेश्य से आप अपने प्रतीक की प्रतियां मुद्रित करवा सकते हैं तथा उन्हें बटवा भी सकते हैं, परन्तु मतदाताओं को साथ में यह समझा दें कि वे प्रतीक के पर्चे मतदान केन्द्र पर न ले जायें।*

3. *चुनाव अभियान के दौरान आपके कार्यकर्ताओं को यह पता लग सकता है कि मतदाता सूचि में कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो उस स्थान को छोड़ चुके हैं या असली व्यक्ति नहीं हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि वे ऐसे मृत अनुपस्थित या जाली मतदाताओं की सूची बनायें। इस प्रकार की सूची आप मतदान की तारीख के कम से कम दो दिन पूर्व रिटर्निंग आफिसर को दे दें । और साथ में ऐसी सूची की एक प्रति सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर नियुक्ति किये जाने वाले अपने मतदान अभिकर्ता को भी उपलब्ध करवायें ताकि मतदान के दिन वह ऐसे किसी मतदाता के नाम से मत देने के लिये आने वाले व्यक्ति के उपर नजर रख सके। इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिये कि सूची में किसी वास्तविक मतदाता का नाम सम्मिलित न हो।*

4. *यदि मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाये तो निर्वाचन प्रत्यादिष्ट (काउटरमैन्ड) नहीं किया जायेगा, सिवाय उस दशा के जबकि ऐसी मृत्यु के फलस्वरूप निर्वाचन लड़ने में केवल एक अभ्यर्थी शेष रह जाये। मतदान प्रत्यादिष्ट हो जाने पर निर्वाचन की समस्त कार्यवाही नये सिरे से उसी प्रकार प्रारम्भ की जायेगी जैसे कि वह नये निर्वाचन के लिये की जाती है परन्तुः–*

(क) ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने के समय निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, आगे पुनः नामांकन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दे दी हो, नये निर्वाचन के लिये नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये अपात्र नहीं होगा।

5. मतदान की तारीख के एक दिन पूर्व (की अवधि के दौरान) कोई सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जायेगी। इस उपबन्ध के पालन का ध्यान रखें।

6. मतदान के दिन आपको केवल नियमानुसार एक या दो वाहनों के उपयोग की अनुमति रहेगी :–

(क) आपके लिये–एक वाहन

(ख) आपके निर्वाचन अभिकर्ता तथा कार्यकर्ताओं के लिये–एक वाहन

इन वाहनों के लिये आप रिटर्निंग आफिसर से मतदान के कम से कम दो दिन पूर्व परमिट प्राप्त कर लें। परमिट को, जिस पर मोटे अक्षरों में **निर्वाचन परमिट मुद्रित** होगा तथा जिस पर रिटर्निंग आफिसर की मोहर और हस्ताक्षर रहेंगे, वाहनों के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

PROFORMA
PANCHAYAT GENERAL / BYE-ELECTION, 20

Permit No._____________

Zila Parishad/ Panchayat Samiti / Gram Panchayat _________________________

Name of Candidate ____

Ward No. ________________ Vehicle Number _______________________

Returing Officer(P)
(Seal)

9-मतदान

(1) वार्ड के मतदाताओं की संख्या के आधार पर प्रत्येक वार्ड में पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। यदि किसी सभा क्षेत्र में प्रति वार्ड मतदाताओं की औसत संख्या 500 तक हो वहां एक ही मतदान केन्द्र स्थापित किया जायेगा। प्रति वार्ड औसत मतदाता संख्या 500 से 1000 के बीच होने पर दो मतदान केन्द्र और इसी प्रकार मतदाताओं की संख्या और अधिक होने पर दो से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किये जायेगें।

रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व मतदान केन्द्रों की एक सूची प्रकाशित की जायेगी जिसमें प्रत्येक मतदान केन्द्र से सम्बन्ध क्षेत्र (अर्थात् मोहल्ला, गली आदि जिसके लिये वह केन्द्र बनाया गया है) दर्शाया जायेगा। यदि अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के बाद किसी मतदान केन्द्र के स्थान में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाये तो उसके लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे परिवर्तित केन्द्रों के बारे में अभ्यर्थियों को भी लिखित में यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

(2) मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी सार्वजनिक अथवा निजी स्थान में निम्नलिखित कार्य करना निषिद्ध है :-

(क) मतों के लिये संयाचना, किसी मतदाता से उसके मत की याचना करना या किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने हेतू मनाना या निर्वाचन में मत न देने के लिये मनाना ।

(ख) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई सूचना या संकेत (शासकीय सूचना से भिन्न) प्रदर्शित करना।

(ग) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आस पास के किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग करना या चिल्लाना या कोई अन्य उच्छृंखल या प्रतिषिद्ध कार्य करना । यदि कोई लाउडस्पीकर या मैगोफोन 100 मीटर से अधिक की दूरी पर भी उपयोग में लाया जा रहा हो परन्तु उसकी आवाज से मतदान केन्द्र में कर्तव्यस्थ अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप होता है तो भी वह निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आयेगा।

(3) अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाताओं को **पहचान पर्चियां** वितरित करने के लिये व्यवस्था कर सकते हैं । पहचान पर्ची में न तो अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए और न ही उसका निर्वाचन प्रतीक या कोई नारा या किसी व्यक्ति का चित्र बना होना चाहिए। उसमें केवल मतदाता का नाम, उसकी आयु, पिता/पति का नाम तथा मतदाता सूचि (या उसके भाग अनुक्रमांक) में उसके (मतदाता के) कमांक का उल्लेख रहना चाहिए।

(4) विभिन्न प्रकार के पदों के लिये मतपत्र सफेद पेपर पर रंग निम्नानुसार अलग-2 रहेगे :-

(क) पंच के लिये -काला

(ख) सरपंच के लिये-नीला

(ग) पंचायत समिति के लिये-पीला

(घ) जिला परिषद् के लिये–लाल

प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपूर्ण (कांउटर फाईल) पर मतपत्र का नम्बर अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जायेगा। मतपत्र के पीछे, मतदान केन्द्र की पहचान के लिये रबर की सुभेदक मोहर लगाई जायेगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगें। मतपत्र का नमूना **परिशिष्ट–नौ** पर दिया गया है ।

(5) मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान अधिकारियों तथा मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था सामान्तः **परिशिष्ट–दस** के अनुसार रहेगी।

(6) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर तथा भीतर निम्नलिखित सूचनायें प्रमुखतः प्रदर्शित की जायेगी :–

(क) विनिर्दिष्ट क्षेत्र, जिसके मतदाता, मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार हों।

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आबंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हो ।

(7) निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ करने के लिये मतपेटी तैयार करने का कार्य 20 मिनट पूर्व प्रारम्भ कर दिया जायेगा जो अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता मौके पर उपस्थित हो, उन्हें मतपेटी का निरीक्षण करने का अवसर दिया जायेगा और यह दिखाया जायेगा कि मतपेटी रिक्त हैं तथा उसके अन्दर कुछ भी नहीं है । तत्पश्चात् जिस टाईप की मतपेटी मतदान केन्द्र को दी गई है उस टाईप के लिये निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करते हुये मतपेटी तैयार की जायेगी। गोदरेज टाईप मतपेटी में निर्धारित प्रकिया के अनुसार एक सादी पेपर सील लगाई जायेगी। पेपर सील लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं को अपने हस्ताक्षर करने का अवसर दिया जायेगा और स्वयं पीठासीन अधिकारी भी अपने हस्ताक्षर करेगा। मतपेटी को सील बन्द करने के पूर्व उसके अन्दर एक पते की चिट (अर्थात् वह किस वार्ड और किस मतदान केन्द्र की है) भी डाली जायेगी।

(8) मतदान का समय प्रायः प्रातः 8–00 बजे से सांय 4–00 बजे तक का रहेगा। मतदान केन्द्र पर एकत्र मतदाताओं को पंक्तिबद्व खड़े करने की व्यवस्था की जायेगी और पंक्ति में से बारी–बारी से महिला तथा पुरूष मतदाताओं की सीमित संख्या से केन्द्र के भीतर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसी महिलाओं को जिनके गोद में बच्चे हों, प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी।

(9) पहली मतपेटी के भरते ही दूसरी मतपेटी उपयोग के लिये तैयार कर दी जायेगी। पहली मतपेटी के भर जाने पर, उसे निर्धारित प्रकिया के अनुसार बन्द कर के सील कर दिया जायेगा। मतदान बन्द होते समय जो मतपेटी उपयोग में आ रही थी उसे उसी हालत में सील बन्द किया जायेगा।

मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी को सील बन्द करते समय यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी।

(10) पीठासीन अधिकारी मतदान का समय समाप्त होने के ठीक 5 मिनट पहले मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से बाहर यह घोषणा करेगा कि मतदान के लिये केवल 5 मिनट का समय शेष है, अतः मतदान केन्द्र के परिसर में (अर्थात् आस पास) जो भी लोग मतदान करने के इच्छुक हो वे एक पंक्ति में खड़े हो जाये। ठीक 4.00 बजे, वह पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को, पंक्ति के अंतिम छोर से आरम्भ करते हुये अपने

हस्ताक्षर वाली पर्चिया बांट देगा और उसके बाद किसी व्यक्ति को पंक्ति में शामिल नहीं होने देगा। अर्थात् 4.00 बजे के बाद केवल ऐसे मतदाताओं को ही मतदान करने की आज्ञा होगी जिनके पास उक्त पर्चियां हो। मतदान तभी समाप्त घोषित किया जायेगा जबकि इस प्रकार प्राधिकृत अंतिम मतदाता ने अपना मत डाल दिया हो ।

(11) *मतदान अभिकर्ता को किसी मतदाता को जारी किये गये मतपत्र की कम संख्या नोट नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मत की गोपनीयता भंग हो सकती है । पीठासीन अधिकारी को इस बात के लिये प्राधिकृत किया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को ऐसा विवरण नोट करने से रोके तथा ऐसे कागजात को जिसमें किसी मतदान अभिकर्ता ने ऐसा विवरण नोट किया हो, जब्त कर ले। यदि चेतावनी के बावजूद भी कोई मतदान अभिकर्ता ऐसा विवरण नोट करेगा जो उसे उसके कदाचार के लिये मतदान केन्द्र के अन्दर नहीं रहने दिया जायेगा। मतदान अभिकर्ता को केवल इस बात की अनुमति है कि वह मतदाता सूची की अपनी प्रति में उन मतदाताओं के नामों के सामने केवल सही का निशान (√) लगा ले जिन्हें मतपत्र जारी किये जाएं । मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिये पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह मतपत्रों की कम संख्या के अनुसार एक के बाद एक जारी न करे ताकि कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता को जारी किये गये मतपत्र की कम संख्या का अनुमान न लगा सके ।*

(12) *अंधेपन या शारीरिक अपंगता के कारण यदि कोई मतदाता मतपत्र पर बने चुनाव प्रतीकों को पहचानने में या सहायता के बिना उन पर चिन्ह लगाने में या मतपत्र को मतपेटी में डालने में असमर्थ हो तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे एक व्यक्ति (साथी), जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, अपने साथ मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमति दी जायेगी ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार (अपने साथी से) मतपत्र पर चिन्ह लगवा सके तथा उसे मतपेटी में डलवा सके। परन्तु किसी भी व्यक्ति को किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदाता के साथी के रूप में सहायता करने वाले व्यक्ति को अनुमति देने के पूर्व उससे एक घोषणा भराई जायेगी कि उसने उस दिन अन्य किसी मतदाता के साथी के तौर पर कार्य नहीं किया है तथा वह मतदाता की ओर से किये गये मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा।*

(13) (*क*) *यदि कोई मतदाता ऐसी असावधानी से, जिसके पीछे उसकी दुर्भावना न हो, अपना मतपत्र खराब कर दे और उसे लौटाना चाहे तो उसके सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी अपना समाधान कर लेने पश्चात् उसे दूसरा मतपत्र दे सकता है । इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर "खराब रद् किया गया" शब्द अंकित करके उसे अलग रखा जायेगा।*

(*ख*) *मतपत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई मतदाता उसका उपयोग न करना चाहे और उसे लौटाना चाहे तो पीठासीन अधिकारी उसे भी ले लेगा। इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर "लौटाया गया–रदद् किया गया" शब्द अंकित करते हुये उसे भी अलग रखा जायेगा।*

(*ग*) *मतदाता को जारी कोई मतपत्र उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाये और ऐसा मतपत्र मतदान केन्द्र में या उसके किसी भी स्थान पर पाया जाये तो उसे "लौटाया गया–रदद् किया गया" समझा जायेगा और उसके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।*

(14) *किसी मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति (अभ्याक्षेप) करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :–*

(1) *मतदाता अधिकारी कमांक 1 के द्वारा उसके सामने खड़े मतदाता से सम्बन्धित मतदाता सूची की प्रविष्टियां पढ़ने के बाद कुछ क्षण प्रतीक्षा की जायेगी। इस दौरान यदि किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा उसकी पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति न की जाये तो मतदान अधिकारी मतदाता सूचि में उसके नाम को रेखांकित करेगा तथा उसके बांयें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगायेगा। निशान लगा देने के बाद की गई किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा करने के पूर्व ही आपत्ति उठा दी जाये तो पीठासीन अधिकारी उस मामले में आगे कार्यवाही हेतू उसे अपने पास ले लेगा और मतदान अधिकारी कमांक –1 अन्य मतदाताओं को मतपत्र देने की कार्यवाही जारी रखेगा।*

(2) *किसी व्यक्ति के मतदाता होने के सम्बन्ध में की गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) पर तभी विचार किया जायेगा जबकि आपत्तिकर्ता ऐसी आपत्ति के लिये पीठासीन अधिकारी के पास पहले नगद दो रूपये की धनराशि जमा करे। ऐसी जमा राशि के लिये रसीद दी जायेगी।*

(3) *राशि जमा कर दिये जाने पर अभ्याक्षेप के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी ।*

(क) *जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में आपति उठाई गई है उसे प्रतिरूपण (प्ररूप धारण) करने के लिये (अर्थात् जो वह नहीं है वह बताने के लिये) यह चेतावनी दी जायेगी कि ऐसा कृत्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 171–एफ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ।*

(ख) *उसे मतदाता सूचि संगत प्रविष्टि पूरी तरह पढ़कर सुनाई जायेगी और यह पूछा जायेगा कि क्या वह वही व्यक्ति है? यदि वह हां कहे तो उसका नाम और पता अभ्याक्षेपित मतों की सूची परिशिष्ट–14 (**प्ररूप–11 में**) दर्ज किया जायेगा तथा उसे उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने को कहा जायेगा।*

(ग) *उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् आपति (अभ्याक्षेप) के सम्बन्ध में निम्नानुसार संक्षिप्त जांच की जायेगी :–*

(1) *आपत्तिकर्ता से जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में आपति उठाई है, उसे वह न होने के बारे में तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा,*

(2) *जिस व्यक्ति के बारे में आपत्ति उठाई गई है उससे वही व्यक्ति होने के बारे में तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा। इस हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने समाधान के लिये उससे आवश्यक प्रश्न पूछे जायेगें जैसे कि वह उस वार्ड में कब से रह रहा है, क्या करता है, उसके रिश्तेदार और पड़ोसी कौन है, मकान का किराया कितना है, मकान मालिक कौन है और क्या करता है, वार्ड के प्रमुख व्यक्ति कौन–2 हैं आदि।*

(3) *पक्ष–विपक्ष में साक्ष्य देने के लिये उपलब्ध/उपस्थित अन्य किसी व्यक्ति से भी पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा सकती है ।*

(4) *उपर्युक्त पूछताछ पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ पत्र पर ब्यान लेकर की जा सकती है ।*

(5) *जांच करने के बाद यदि पीठासीन अधिकारी उठाई गई आपत्ति (अभ्याक्षेप) को सही होना पाये तो सम्बन्धित व्यक्ति को मतपत्र नहीं दिया जायेगा और आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि लौटा दी जायेगी और साथ ही प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने के लिये उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा ।*

(6) *जांच करने के बाद यदि उठाई गई आपति (अभ्याक्षेप) का सही होना न पाया जाये तो सम्बन्धित व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति दी जायेगी तथा आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।*

(15) *यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुये मतपत्र की मांग करे और मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है तो पीठासीन अधिकारी उससे इस आशय के कुछ प्रश्न पूछेगा, जिससे उसे सन्तुष्टि हो जाये वह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। अतः ऐसे व्यक्ति को मतपत्र जारी किया जायेगा परन्तु उसके मतपत्र, मताकंन के बाद, मतपेटी में नहीं डलवाया जायेगा। ऐसा मतपत्र, जिसे* ***निविदत मतपत्र*** *(टैण्डर्ड बेलट पेपर) कहते हैं, पीठासीन अधिकारी अपनी सपुर्दगी में ले लेगा तथा उसे इस प्रयोजन के लिये अलग से दिये गये लिफाफे में रखेगा। मतदान की समाप्ति पर निविदत मतपत्रों के लिफाफे को सील बन्द कर दिया जायेगा।*

(16) *मतदान बन्द होने के बाद, तब उपयोग में लाई जा रही मतपेटी, निर्धारित प्रकिया के अनुसार सबसे पहले बन्द की जायेगी। वहां उपस्थित मतदान अभिकर्ता यदि चाहे तो उस पर अपनी सील भी लगा सकते हैं । इसके बाद मतपेटी/मतपेटियां मजबूत कपड़े के ऐसे थैले में रखी जायेगी जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि उसे मजबूत रस्से या अन्य प्रकार से बन्द किया जा सकता हो और उस थैले को पीठासीन अधिकारी द्वारा सील बन्द कर दिया जायेगा ।*

(17) *मतपेटी को सीलबन्द करने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा* ***परिशिष्ट–ग्यारह*** *में उदधृत प्रारूप में मतपत्र लेखा (प्ररूप–तेरह) तैयार किया जायेगा और उसकी एक अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मतदान केन्द्र पर उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता को दी जायेगी।* ***मतपत्र–लेखा*** *भाग एक की प्रतिलिपि की प्राप्ति की अभिस्वीकृति में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान अभिकर्ता से* ***परिशिष्ट–बारह*** *में उद्धधृत प्ररूप में हस्ताक्षर भी कराये जायेगें ।*

(18) *प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हो, उन लिफाफे और पैकेटों पर अपनी मुहर लगा सकेगा। जिनमें निम्नालिखित दस्तावेज रखे हो:–*

(1) *उपयोग में न लाये गये मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण,*

(2) *निविदत मतपत्र और तैयार की गई निविदित मतों की सूचि,*

(3) *लौटाये गये तथा रद्द किये गये मतपत्र,*

(4) *मतदाता सूचि की चिह्नित प्रति,*

(5) *हस्ताक्षर किये गये परन्तु प्रयोग में न लाये गये मतपत्र, उनके प्रतिपर्ण सहित यदि कोई हो,*

(6) *अभ्याक्षेपित मतों की सूचि,*

(7) *उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण, और*

(8) *अन्य कोई ऐसे कागज पत्र जिनके बारे में रिटर्निंग आफिसर ने निर्देश दिया हो कि वे एक सील बन्द पैकेट में रखे जायें।*

यह आप ही के हित में है कि आप अपने मतदान अभिकर्ता को यह सलाह दें कि वह उक्त पैकेटों पर अपनी सील लगाये ताकि उनके साथ हेर–फेर किये जाने की शिकायत की कोई गुजांयश न रहे ।

(19) *मतदान की समाप्ति पर मतपेटियां पूर्व से निर्धारित भण्डारण के स्थान पर ले जाई जायेगीं और उन्हे गणना के स्थान पर ले जाने के समय तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। आप चाहे तो मतपेटी के साथ लौट रहे मतदान दलों के साथ अपने निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं को भी भेज सकते है परन्तु आपको उनके परिवहन की व्यवस्था अलग से करनी होगी, क्योंकि उन्हे सरकारी वाहन में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि आप चाहे तो आप उस स्थान की जंहा मतपेटियां रखी गई है, चौकसी करने के लिये अपना एक अभिकर्ता तैनात कर सकते हैं। उस अभिकर्ता को उस कक्ष के दरवाजे तथा खिड़कियों पर, जिसमें मतपेटियां रखी गई है, रिटर्निंग आफिसर द्वारा लगाई जाने वाली सील के अतिरिक्त, अपनी सील लगाने की भी अनुमति दी जायेगी। सभी मतपेटियां के प्राप्त हो जाने और रख दिये जाने तथा उस कक्ष में ताला लगा दिये जाने के बाद, मतगणना के लिये नियत तारीख की सुबह तक किसी को भी उस कक्ष के अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि इस बीच उस कमरे को किसी कारणवश खोलना पड़े तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा ऐसा करने के लिये आपको सूचना दी जायेगी और आपकी या आपके अभिकर्ता की उपस्थिति में ही उस कमरे को खोला जायेगा। जिस प्रयोजन के लिये कमरा खोला गया है उस प्रयोजन के पूरा हो जाने के तुरन्त पश्चात् आपके अभिकर्ता को दरवाजे और खिड़कियों को पुनः सील करने की अनुमति दी जायेगी। एक लॉग बुक भी रखी जायेगी, जिसमें कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों, प्रवेश करने का प्रयोजन, प्रवेश का समय और उसके बाहर आने का समय इत्यादि का पूरा विवरण अंकित किया जायेगा। कक्ष में जब तक मतपेटियां रहेगी उसके सशस्त्र पहरे की समुचित व्यस्था की जायेगी । यदि आप चाहे तो अपनी ओर से भी उस कक्ष के बाहर अपना एक अभिकर्ता तैनात कर सकते हैं परन्तु ऐसे व्यक्ति को अपने पास अस्त्र या शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।*

(20) *पंचों तथा सरपंचों की मतगणना पोलिंग बूथ पर ही की जायेगी ।*

10-*विशेष परिस्थितियों में मतदान का स्थगन तथा पुनर्मतदान*

(1) *यद्यपि मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थायें की जाती हैं, फिर भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिनमें मतदान की कार्यवाही जारी रखना सम्भव न हो। मतदान केन्द्र पर खुली हिंसा, बलवा आदि के कारण या आग लगने, तेज आंधी व बारिश हो जाने आदि आपदाओं के कारण मतदान की प्रकिया रूक सकती है । मात्र अल्पकालिक वर्षा या तेज हवा का चलना मतदान स्थगित करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं होगा। यदि ऐसी स्थिति निर्मित हो जाये जिससे मतदान आगे जारी रखना सम्भव न हो तो पीठासीन अधिकारी मतदान रोक देगा और इस आशय की औपचारिक घोषणा मतदान केन्द्र में सभी उपस्थित अभिकर्ताओं के समक्ष करेगा। मतदान स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की सूचना दो प्रतियों में तैयार की जायेगी। एक प्रति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराकर पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेगा तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रदर्शित (चस्पा) करेगा ।*

(2) *मतदान स्थगित किये जाने पर मतपेटी को (जिसमें कि मतदान रोकने के समय तक मतपत्र डाले जा रहे थे) ठीक उसी प्रकार सील कर दिया जायेगा, जिस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में मतदान पूर्ण होने के पश्चात किया जाता है। इस मतपेटी को पूर्व में मतपत्रों से भरी तथा सील की गई अन्य मतपेटी के साथ (यदि कोई हो तो) सुरक्षित रख दिया जायेगा। वस्तुतः इसके बाद मतपत्र लेखा तैयार करने, अन्य पैकटो की सील बन्द करने तथा मतपेटियों, पैकटो आदि को रिटर्निंग आफिसर को सौपने की कार्यवाहियां यथा साध्य ठीक उसी प्रकार से की जायेगी जिस प्रकार मतदान शांतिपूर्ण ढग से सम्पन्न होने के पश्चात की जाती है ।*

(3) *स्थगित किया गया मतदान केवल राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार ही पुनः प्रारम्भ किया जायेगा। आयोग द्वारा निर्धारित पुनर्मतदान की तारीख की सूचना रिटरर्निग आफिसर द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दी जायेगी। पुनर्मतदान के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता सूचि को चिह्नांकित प्रति (जो कि मतदान अधिकारी क्रमांक–I के पास रहती है) के मूल सील बन्द पैकेट के साथ एक नई मतपेटी तथा अन्य सामग्री पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। मतदान पुनः प्रारम्भ करने के पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित अभिकर्ताओं के समक्ष मतदाता सूचि की चिह्नांकित प्रति का सील बन्द पैकेट खोला जायेगा तथा मतदान के लिये मतपत्र तैयार करने के बाद आगे मतदान कराया जायेगा। उन मतदाताओं को जिन्होनें मतदान के स्थगन के समय तक अपना मत दे दिया हो, फिर से मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस प्रकार कराये गये पुनर्मतदान के मामले में मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरान्त की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां ठीक उसी प्रकार से की जायेगी जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में कराये जाने वाले मतदान के लिये की जाती हैं ।*

(4) ***मतदान केन्द्र पर जबरन कब्जा किये जाने, मतपेटी विनष्ट किये जाने आदि मामलों में कार्यवाही :–*** *मतदान केन्द्र पर बलवा, हिंसा, उपद्रव के कारण या केन्द्र का बलात् ग्रहण (बूथ कैपचरिंग) किये जाने की स्थिति में, यदि उपयोग में लाई गई मतपेटी/पेटियों को नष्ट करने या फैंक देने या उनकी सील तोड़ देने या उन्हें पीठासीन अधिकारी के नियन्त्रण से छीनकर बाहर ले जाने का कृत्य किया जाये या केन्द्र के*

मतपत्रों पर घूमते हुये तीरों वाली मतांकन की मोहर लगाकर उन्हें जबरन मतपेटी में डाल दिया जाये या मतदाता सूचि की चिह्नांकित प्रति फाड़ दी जाये तो स्पष्ट है कि उस मतदान केन्द्र पर मतदान दूषित हो जायेगा और मतदान का परिणाम अभिनिश्चित कराना सम्भव नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान स्थगित कर दिया जायेगा और स्थगन के सम्बन्ध में औपचारिक घोषणा की जायेगी। यह घोषणा दो प्रतियों में तैयार की जायेगी, जिसमें से एक प्रति पर मतदान केन्द्र में उपस्थिति निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाकर पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेगा तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रदर्शित करेगा।

इस उपकंडिका में वर्णित परिस्थितियों के कारण स्थगित किये गये मतदान के सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी अर्थात् केलैक्टर के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेगा। आयोग समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यदि आवश्यक हो तो :–

(*क*) *उस मतदान केन्द्र में हुये मतदान को रद्द घोषित करेगा और*

(*ख*) *नए सिरे से मतदान के लिये औपचारिक रूप से तारीख और समय निर्धारित करेगा।*

आयोग से सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर आपको नये मतदान के लिये निर्धारित तारीख समय तथा स्थान की सूचना देगा और इस सम्बन्ध में उस मतदान क्षेत्र में मुनादी कराके या किसी अन्य प्रकार से आम लोगों को भी जानकारी देगा।

11-मतो की गणना

1. मतगणना के लिये नियत तारीख, स्थान और समय का उल्लेख निर्वाचन नियम 24 के अन्तर्गत जारी की गई सूचना में किया जाता है यदि इसमें कोई परिवर्तन हुआ तो रिटर्निंग आफिसर आपको या आपके निर्वाचन अभिकर्ता को समय पर लिखित में सूचना भेजकर अवगत करवायेगा।

2. जिला परिषद्/पंचायत समिति के विभिन्न वार्डों की मतगणना एक ही दिन और यथा सम्भव एक ही स्थान पर की जायेगी और गणना कार्य उसी दिन पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर की सहायता के लिये एक या अधिक सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा आवश्यक संख्या में गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक नियुक्त किये जायेगें।

3. एक वार्ड में डाले गये मतपत्रों की गणना एक ही मेज पर की जायेगी। यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र भी हो तब भी उनमें डाले गये मतों की गणना बारी–बारी से उसी मेज पर की जायेगी।

4. गणना मेज पर गणना की देख रेख करने के लिये आप या आपके निर्वाचन अभिकर्ता निम्नानुसार गणन अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकते हैं :–

(1) यदि आपके वार्ड में केवल एक ही मतदान केन्द्र हो, तो आप केवल एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं । रिटर्निंग आफिसर की मेज पर आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। वार्ड के एक मात्र मतदान केन्द्र में डाले गये मतों की गणना पूर्ण हो जाने पर गणना पर्यवेक्षक द्वारा माने गये **'संदिग्ध–मतपत्रों'** की संवीक्षा (जांच) सहायक रिटर्निंग आफिसर या रिटर्निंग आफिसर की मेज पर की जायेगी। तब आपका गणना अभिकर्ता भी मुक्त हो चुका होगा अतः वह आसानी से सहायक रिटर्निंग आफिसर की मेज पर संदिग्ध मतपत्रों की संवीक्षा और गणना कार्य देख सकता है । अतः केवल एक मतदान केन्द्र वाले वार्ड से सम्बन्धित मतपत्रों की गणना के लिये एक मतदान अभिकर्ता पर्याप्त हैं।

(2) यदि आपके वार्ड में 2 या उससे अधिक मतदान केन्द्र हो तो आप एक अतिरिक्त गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। अतिरिक्त गणन अभिकर्ता सहायक रिटर्निंग आफिसर/रिटर्निंग आफिसर की मेज पर गणना कार्य की देख रेख के लिये हैं, जहां पर कि बारी–बारी से वार्ड के विभिन्न मतदान केन्द्रों से सम्बन्धित, संदिग्ध मतपत्रों की संवीक्षा की जायेगी।

(3) यदि आपने कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त न किया हो तो आपको उपर बताई गई संख्या में एक अधिक गणन अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जायेगी।

(4) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्ररूप आदि की जानकारी **अध्याय–6 की कडिंका 3** में दी गई है। गणन अभिकर्ता के नामों की सूचि मतगणना की तारीख से कम से कम दो दिन पूर्व रिटर्निंग आफिसर को भेज दे ताकि वे उनके बिल्ले (बैज) या पास बनाकर तैयार रख सके। मतगणना के दिन गणन अभिकर्ताओं को मतगणना प्रारम्भ होने के समय से कम से कम एक घन्टा पहले मतगणना स्थल पर पहूंच जाना चाहिए।

(5) गणन अभिकर्ता द्वारा अपना नियुक्ति पत्र रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किये जाने तथा उसमें अतंर्विष्ट धोषणा पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् उसे एक बिल्ला या पास दिया जायेगा, जिसमें यह दर्शाया जायेगा कि वह किस अभ्यर्थी का अभिकर्ता है तथा उस मेज की कम संख्या क्या है जिस पर वह गणना देखेगा।

5. गणन अभिकर्ता को आबंटित मेज से हटकर हाल में इधर–उधर घूमने/फिरने की अनुमति नहीं होगी और उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह अपनी जगह पर शांति से बैठा रहे। मतगणना हाल में धुम्रपान पूरी तरह वर्जित है। रिटर्निंग आफिसर के किसी भी निर्देश की अवहेलना करने पर गणन अभिकर्ता को मतगणना हाल से बाहर भेजा जा सकता है ।

6. प्रत्येक गणना मेज पर उसका कमांक प्रदर्शित होगा और एक गणना पर्यवेक्षक तथा गणना सहायक तैनात होगे। मेज के एक सिरे पर गणना पर्यवेक्षक उसके एक लम्बे किनारे पर गणन सहायक बैठेगें। गणना अभिकर्ता गणना सहायकों के सामने बैठेगे जहां से वे मतपत्रों की छटाई, संवीक्षा और गणना कार्य देख सकेगें।

7. मतगणना हाल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा :–

(1) गणना पर्यवेक्षक तथा गणन सहायक,

(2) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

(4) निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यरत लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी), तथा

(5) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता ।

8. मतगणना कार्य नियत समय पर प्रारम्भ किया जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओ की अनुपस्थिति के कारण मतगणना का कार्य रोका या विलम्बित नहीं किया जायेगा।

9. मतपेटियों को गणना मेजों पर इस प्रकार वितरित किया जायेगा कि वार्ड कमांक–1 की मतपेटी/मतपेटियां, मेज कमांक–1 पर रखी जाये और इसी कम के अनुसार वार्ड और गणना मेज का कमांक एक ही रहे। दूसरे शब्दों में एक गणना मेज पर किसी एक विशेष वार्ड के समस्त मतदान केन्द्रों पर डाले गये मतों की गणना की जायेगी। मतपेटियां गणना मेज पर मतदान केन्द्रवार बारी बारी से लायी जायेगी और एक समय में एक मतदान केन्द्र पर डाले गये मतों की ही गणना की जायेगी। स्पष्ट है कि प्रत्येक वार्ड के लिये मतगणना के उतने ही चक्र होंगें जितने कि उसमें मतदान केन्द्र हैं।

10. किसी मतदान केन्द्र की मतपेटी/मतपेटियां गणना मेज पर लाये जाने पर उपस्थित गणन अभिकर्ताओ को उसे/उन्हें देखने और इस बात के लिये अपना समाधान करने का अवसर दिया जायेगा कि किसी मतपेटी पर लगी सील के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। मतपेटी किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर के द्वारा स्वयं जांच की जावेगी तथा उस समय तक उन मतदान केन्द्र की मतगणना का कार्य रूका रहेगा। शेष मतदान केन्द्रो की मतगणना जारी रहेगी। यदि रिटर्निंग आफिसर जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुचे कि मतपेटी को पहुंचाई गई क्षति इस प्रकार की है कि जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है तो वह उस मतदान केन्द्र की मतगणना रोक देगा और इस सम्बन्ध में एक

विस्तृत रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। आगे की कार्यवाही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जायेगी।

11. *मतपेटी की सीलों और उसकी अनन्यता (अर्थात् वास्तव में उसी मतदान केन्द्र की मतपेटी होने) के बारे में जांच हो जाने पर मतपेटी खोली जायेगी। मतपेटी के सभी मतपत्र मतगणना मेज पर निकाले जायेगे। गणन अभिकर्ताओ को इस बारे में अपना समाधान कर लेने दिया जायेगा कि मतपेटी में से सारे मतपत्र निकाल लिये गये हैं और उसके अन्दर और कोई मतपत्र नहीं बचा है ।*

मतपेटी के अन्दर से निकाले गये मतपत्रों को उल्टा रखकर (अर्थात् उम्मीदवारो के नाम एवं चुनाव चिह्न वाला भाग नीचे की ओर रखते हुये) उनकी संख्या ज्ञात की जायेगी।

12. (1) *उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर मतपत्रों को पुनः सीधा रखते हुये गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायको द्वारा उनकी संवीक्षा (जांच) तथा अभ्यर्थीवार छंटनी की जायेगी। प्रत्येक मेज पर एक **गणना ट्रे** रहेगी जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या से एक अधिक खाना (संदिग्ध मतपत्रों के लिये) होगा। किसी अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये सभी विधिमान्य मतपत्र उसी अभ्यर्थी के लिये निर्धारित खाने में रखे जायेगे। ऐसा प्रत्येक मतपत्र जिसकी विधिमान्यता सन्देहास्पद हो, अर्थात् जिसके बारे में गणना सहायक के लिये यह निर्णय लेना सम्भव न हो कि मतपत्र किस अभ्यर्थी के पक्ष में गिना जाये, संदिग्ध मतपत्रों के खाने में रखा जायेगा। यदि अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं के बीच किसी मतपत्र की विधिमान्यता के बारे में या इस बारे में वह किस अभ्यर्थी को दिया गया है विवाद हो तो ऐसे मतपत्र की विधिमान्यता या यह मतपत्र किस अभ्यर्थी के पक्ष में गिना जाये या इसे रद् किया जाये, गणना पर्यवेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा जैसे भी स्थिति हो निर्णय लिया जायेगा।*

(2) *संदिग्ध मतपत्रों की जांच रिटर्निंग आफिसर द्वारा (जिसका अभिप्रायः सहायक रिटर्निंग आफिसर से भी है) की जायेगी तथा वह खारिज किये जाने वाले ऐसे किसी भी मतपत्र को जिसे कोई उपस्थित अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता (या दोनों की अनुपस्थिति में गणना अभिकर्ता) ठीक से देखना चाहे उसे देखने की अनुमति देगा। परन्तु किसी मतपत्र को हाथ में लेकर देखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।*

(3) *किसी मतपत्र को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से प्रतिक्षेपित (खारिज) कर दिया जायेगा, यदि :–*

(क) *उस पर कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या*

(ख) *वह बनावटी मतपत्र है, या*

(ग) *वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है, कि असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती, या*

(घ) *वह विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिये प्राधिकृत मतपत्रों के यथास्थिति कमाकों से भिन्न कमांक या परिकल्प (डिजाइयन) से भिन्न परिकल्प का है, या*

(ङ) *उस पर सुभेदक सील नहीं लगी है, या*

(च) *उस पर मतांकन का चिन्ह (अर्थात् घूमने वाले तीरो का चिन्ह)नहीं है, या*

(छ) *उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के कालम पर चिन्ह लगाया गया है ,या*

(ज) *उस पर उस प्रयोजन के लिये विहित उपकरण या युक्ति (अर्थात् दी गई घूमने वाले तीरों की सील) से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाया गया है, या*

किन्तु यह समाधान हो जाने पर कि खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) में वर्णित कोई त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई तो रिटर्निंग आफिसर यह निर्देश दे सकता है या ऐसी त्रुटि पर ध्यान न देते हुये इस आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किया जावे ।

(4) *मतपत्र को केवल इस कारण से प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा कि :–*

(क) *किसी एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक चिह्न लगाये गये हैं, या*

(ख) *एक अभ्यर्थी के खाने से स्पष्ट चिह्न के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग या गहरे रंग वाले (छायाकृत) स्थान में भी चिह्न लगा है, या*

(ग) *वह चिह्न किसी एक अभ्यर्थी के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा चिह्न का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या*

(घ) *मूल चिह्न किसी एक अभ्यर्थी के खाने से स्पष्ट रूप से बना है, किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य उम्मीदवार के खाने में बन गई है। मूल चिह्न और उसकी छाया प्रति में अन्तर करना आसान है। मूल चिह्न में तीरों की दिशा घड़ी की सुईयों के घूमने की दिशा से विपरीत दिशा में रहती है। अतः उसकी छाप में तीरों की दिशा उससे उल्टी हो जायेगी अर्थात् घड़ी की सुईयों के घूमने की दिशा में हो जायेगी। इस आधार पर छाप तथा मूल चिह्न में सरलतापूर्वक भेद किया जा सकता है ।*

(ङ) *चिह्न किसी एक अभ्यर्थी के खाने में लगा है परन्तु किसी दूसरे अभ्यर्थी के सामने वाले खाने में भी धब्बा बन गया है, या*

(च) *मतपत्र के पीछे कोई विभेदक चिह्न और हस्ताक्षर नहीं है परन्तु रिटर्निंग अधिकारी को यह ज्ञान हो जाये कि यह चूक पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या असावधानी के कारण हुई, या*

(छ) *मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे के निशान का धब्बा बन गया है ।*

(5) मतपत्र को खारिज करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज करने के कारण का संक्षिप्त रूप से उल्लेख रहेगा । जिस कारण से सम्बन्धित मतपत्र खारिज किया गया है तथा **रिजैक्ट शब्द लिखेगा तथा लघु हस्ताक्षर** करेगा।

(6) मतों की गणना का कार्य एक बार शुरू होने पर तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त न हो जाये । बगैर किसी अप्रत्याशित घटना या अपरिहार्य परिस्थिति (जैसे कि आग या हिसां) के, गणना कार्य बीच में नहीं रोका जाये ।

13. प्रत्येक मेज के गणना पर्यवक्षेक द्वारा किसी मतदान केन्द्र पर डाले गये मतों की गिनती पूरी होने पर, **गणना** का परिणाम, निर्धारित फार्म में भरा जायेगा और विभिन्न अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये मतों के अलग–2 बण्डल (मतपत्रों को 50–50) की गड्डियों में रखकर तथा धागे से लपेटकर बनाये जायेगें। (आखरी गड्डी, 50 से कम मतपत्रों की भी हो सकती है), संदिग्ध मतपत्रों का एक बण्डल पृथक से बनाया जायेगा। इन सब बण्डलों को फार्म के साथ एक सुतली से लपेटकर रिटर्निंग आफिसर के पास भेजा जायेगा। (रिटर्निंग आफिसर से आशय सहायक रिटर्निंग आफिसर से भी है) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रस्तुत बण्डलों में संदिग्ध मतपत्र वाले बण्डल में रखे गये मतपत्र किसी अभ्यर्थी के पक्ष में डाला गया माना जाये तो उसे सम्बन्धित अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये वैध मतपत्रो के बण्डल में सम्मिलित किया जायेगा। खारिज मतपत्रों को एक अलग बण्डल में रखा जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के वैध मतपत्रों के बण्डलों को (लगभग 5 प्रतिशत मतपत्रों की) नमूना जांच भी की जायेगी। यदि कोई विसंगति पाई गई तो इसे ठीक किया जायेगा और मतपत्रों के सुसंगत बण्डलों में यथाआवश्यक अतंरण करने की कार्यवाही के साथ–2 रिटर्निंग आफिसर मतों की प्रविष्टियों को संशोधित किया जायेगा। ऐसा करते समय पर्यवेक्षक द्वारा लिखे गये आंकड़ो को नहीं काटा जायेगा वरना उन आंकड़ो को आगे संख्या बढाने या घटाने के लिये धन (+) या (-) चिन्ह लगाकर आवश्यक प्रविष्टियां की जायेगी और उन पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जायेगें। इसके पश्चात् फार्म के अन्त में रिटर्निंग आफिसर अपने हस्ताक्षर भी करेगा। इसी प्रकार वार्ड के सभी मतदान केन्द्रों पर डाले गये मतपत्रों की गणना बारी–2 से पूरी की जायेगी और मतदान केन्द्रवार गणना का परिणाम तैयार किया जायेगा।

14. किसी वार्ड से सम्मिलित सभी मतदान केन्द्रों की गणना पूरी हो जाने पर, उनका सारणीकरण करके गणना का **अतिंम परिणाम पत्र** तैयार किया जायेगा। इस प्ररूप में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके पक्ष में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर डाले गये मतों की संख्या का उल्लेख रहेगा तथा उसे कुल मिलाकर प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या दर्शाई जायेगी। गणना का अंतिम परिणाम पत्र तैयार होते ही प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या के योग को रिटर्निंग आफिसर द्वारा आख्यापित (एनाउंस)किया जायेगा ।

15. रिटर्निंग आफिसर द्वारा तैयार किये गये **अंतिम परिणाम पत्र** के आधार पर अभ्यर्थियों के प्राप्त मतों के आधार पर आख्यापन किये जाने से पहले यदि कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतपत्रों की पूर्णतः या भागतः पुनर्मतगणना के लिये लिखित में आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र में उन आधारों का उल्लेख करना आवश्यक है जिन पर पुनर्मतगणना की मांग की जा रही है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने विवेक से आवश्यक समय दिया जायेगा। इस बीच

आबंटन पत्र प्रस्तुत होने पर रिटर्निंग आफिसर उसमें पुनर्मतगणना के लिये उल्लिखत आधारों पर विचार करेगा। यदि आधार तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत हो तो वह आवेदन पत्र अस्वीकृत कर देगा। परन्तु यदि वह यह पाए कि आवेदन पत्र में दिये गये आधार समाधानकारक हैं तो वह उसे पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करेगा। रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय अंतिम होगा। आवेदन पत्र पूर्णतः या आशिंक रूप से स्वीकार कर लिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतपत्रों की दोबारा गणना का निर्देश दिया जायेगा। ऐसी पुनर्मतगणना पूरी हो जाने पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा गणना का अंतिम परिणाम पत्र यथावश्यक संशोधित किया जायेगा और अपने द्वारा किये गये ऐसे संशोधनों को आख्यापित किया जायेगा। तत्पश्चात् संशोधित अंतिम परिणाम पत्र में रिटर्निंग आफिसर अपने हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी या उसकी ओर से उसके निर्वाचन अभिकर्ता को पुनर्गणना की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा और यदि ऐसी मांग की भी जाती है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

16. *यदि किसी मतदान केन्द्र पर पुनः मतदान का आदेश दिया गया हो तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे पुनर्मतदान में डाले गये मतों की गणना के लिये निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान की सूचना आपको देगा। ऐसी गणना के लिये आप अपने निर्वाचन अभिकर्ता तथा नवनियुक्त गणन अभिकर्ता के साथ गणना के निर्धारित स्थान पर उपस्थिति हों । ऐसी गणना के लिये उपरवर्णित प्रक्रिया ही अपनाई जायेगी।*

17. *यदि मतगणना की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाया गया कोई मतपत्र रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा से अवैध रूप से निकाल लिया जाये या घटनावश नष्ट हो जाये या इरादतन नष्ट कर दिया जाये या खो जाये, जिससे उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम सुनिश्चित करना कठिन हो तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से तुरन्त राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा तथा आयोग के निर्देशों की प्रतिक्षा करेगा। तथापि अन्य मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में गणना की कार्यवाही जारी रखी जायेगी।*

18. *जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक विधिमान्य मत प्राप्त हुये हों उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त हो तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच लाट निकालने की कार्यवाही की जायेगी और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में पर्ची निकले उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ मानकर निर्वाचित घोषित किया जायेगा।*

19. (1) *निर्वाचन नियम 28 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति राशि निम्नांकित उपबन्धों के अन्तर्गत या निक्षेप करने वाले व्यक्ति का या उसके विधिक प्रतिनिधि को वापिस कर दी जायेगी अथवा राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी :–*

(*क*) *यदि अभ्यर्थी का नाम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचि में नही दर्शाया गया हो या उसकी मतदान आरम्भ होने से पूर्व मृत्यु हो गई हो तो प्रतिभूति की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी।*

(*ख*) *यदि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ है और उसे प्राप्त हुये विधिमान्य मतों की संख्या निर्वाचित अभ्यर्थी को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के तीसरे भाग से अधिक नही है तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। परन्तु सरपंच के*

केस में वह सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त वोटो की कुल संख्या के एक दसवें भाग से अधिक नहीं है तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

(2) *जमा धनराशि की वापसी के लिये आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए।*

20. *निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त विधिमान्य मतपत्रों के अलग–2 बण्डल बनाए जायेगें तथा प्रतिक्षेपित मतपत्रों का एक अलग से बण्डल बनाया जायेगा। प्रत्येक वार्ड के बण्डलों को एक पैकेट पेटी में रखकर उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील कर दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या इन दोनों की अनुपस्थिति में उसका गणना अभिकर्ता भी अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारण जैसे कि आग, हिंसा आदि से मतगणना बीच में रोकनी पड़े तो सभी मतपत्रों और अन्य कागजों को एक पैकेट में रखकर सील बन्द कर दिया जायेगा तथा ऐसे प्रत्येक पैकेट पर रिटर्निंग आफिसर के साथ –2 कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उसे भी ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी।*

21. *परिणाम की घोषणा के बाद रिटर्निंग आफिसर आपको, यदि निर्वाचित घोषित हुये तो निर्वाचन का प्रमाण पत्र देगा तथा आपसे उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा। यदि आप परिणाम की घोषणा के समय उपस्थित न हो तो रिटर्निंग आफिसर से शीघ्र सम्पर्क करें तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करे। आपको अभिस्वीकृति पत्र निम्नांकित प्ररूप में देना होगा :–*

मैं ....पिता/पति श्री ....
जिला परिषद्/पंचायत समिति/सरपंच/पंच..के वार्ड क्रमांक ....
....................................से अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार करता/करती हूं ।

....

स्थान :–..............................   निर्वाचित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांकः–..............................   तथा नाम

अभिप्रमाणित तथा जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ....
को अग्रेसित ।

सील   रिटर्निंग आफिसर

(2) आपके पास निर्वाचन प्रमाण पत्र होना इसलिये आवश्यक है क्योंकि उसके आधार पर ही आप अपना स्थान ग्रहण कर पायेगें।

अध्याय–12

<u>हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन खर्च (लेखे रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 1996</u>

उम्मीदवारों द्वारा हरियाणा राज्य में पंचायतों के चुनावों के निर्वाचन खर्च के लेखे प्रस्तुत करने और उनसे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु आदेश।

जबकि भारतीय संविधान और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम–II) द्वारा हरियाणा राज्य में पंचायतों के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है। और जबकि, राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव में बेहिसाब वित्तीय स्रोतों की बढ़ती हुई खराब भूमिका के प्रति पूर्णतः सजग है तथा इस को रोकने में वर्तमान कानून अपर्याप्त होने के कारण हरियाणा राज्य में पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष तथा कुशलतापूर्वक करवाने के लिए, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव और उससे सम्बन्धित मामलों पर होने वाले खर्च के लेखे प्रस्तुत करने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक और अनिवार्य है।

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम–II) की धारा 212 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों और इस सम्बन्ध में सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाते है:–

1. संक्षिप्त, शीर्षक, विस्तार, लागू करना तथा प्रवर्तनः– (1) इस आदेश को हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन खर्च (लेखे रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 1996 कहा जाए।

(2) *यह आदेश सभी पंचायतों में चुनाव के सम्बन्ध मे समूचे हरियाणा राज्य में लागू होगा।*

(3) *यह आदेश हरियाणा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा, जो इस के पश्चात इस आदेश की प्रारम्भ तिथि होगी।*

2. परिभाषा और अभिव्यक्तिः– (1) इस आदेश में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम संख्या II)

(ख) "निर्वाचन खर्च" से अभिप्राय है, उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा नामांकन और उसके परिणामों की घोषणा की तिथि इसमें दोनों दिन शामिल होंगे के बीच निर्वाचन के सम्बन्ध में किया गया अथवा प्राधिकृत कोई खर्च'

(ग) "पंचायत" से अभिप्राय है, अनुच्छेद 243 ख के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वाशासन संस्था और इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं,

(घ) "नियम " से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियमावली, 1994,

(ङ) "धारा" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा,

(च) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 212 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243ट के अन्तर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

(छ) "उप–पैरा" से अभिप्राय हैः पैरे का वह उप पैरा जिसमें शब्द आता है, और

(2) इस आदेश में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्ति किन्तु जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु जिन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, उन का अर्थ क्रमशः इन अधिनियमों और नियमावलियों में निर्दिष्ट अनुसार होगा।

(3) "ऐसी परिभाषा न होने की स्थिति में पंजाब सामान्य खण्ड अधिनियम, 1898 (1898 का पंजाब अधिनियम संख्या I) यथासम्भव इस आदेश की व्याख्या के सम्बन्ध में लागू होगा जिस तरह यह हरियाणा अधिनियम की व्याख्या के सम्बन्ध में लागू होता है।

3. निर्वाचन खर्च सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाः–

इस आदेश के प्रयोजनार्थ, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत निर्वाचन एजेन्ट द्वारा किसी निर्वाचन में किए जाने वाले निर्वाचन खर्च की सीमा समय समय पर अधिसूचित की जाएगी।

4. निर्वाचन खर्च लेखा रखनाः– चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा इस आदेश के प्रयोजनार्थ इस आदेश के पैरा 5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिन प्रतिदिन का निर्वाचन खर्च लेखा रखा जाएगा।

5. निर्वाचन खर्च नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार रखा जाएगाः–

(1) प्रत्येक उम्मीदवार को उसके नामांकन के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी द्वारा (पंचायत) दिन प्रतिदिन के खर्च का अभिलेख रखने के लिए इस आदेश के अनुबन्ध–1 में दर्शाये गए अनुसार मानक प्रोफार्मा में एक रजिस्टर जारी किया जाएगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) रजिस्टर जारी करने के समय उसे विधिवत प्रमाणित करेगा।

(3) उम्मीदवार या इस सम्बन्ध में उस द्वारा प्राधिकृत उसके एजेन्ट द्वारा इस रजिस्टर में दिन प्रतिदिन के लेखे इमानदारी से दर्ज किए जाएंगे और किसी अन्य दस्तावेज में नहीं।

(4) किए गए खर्च की पुष्टि में सभी दस्तावेज जैसे वाउचर, रसीदें, पावतियां आदि प्राप्त किए जाएंगे और उक्त रजिस्टर के साथ ठीक तिथि क्रम में रखे जाएं।

(5) (क) उक्त रजिस्टर में रखे गए दिन प्रतिदिन के लेखे पुष्टि दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन खर्च प्रेषक या इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा मनोनीत किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा जांच करने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(ख) उक्त वर्णित प्राधिकारी (क) द्वारा मांग करने पर इस रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल रहने को मुख्य चूक समझा जाएगा।

6. (क) चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार उसमें इस आदेश के अनुबन्ध II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार चुनाव खर्च का लेखा भी रखेगा ताकि सूचीबद्व विभिन्न मदों का कुल खर्च दर्शाया जा सके। चुनाव खर्च के लेखे, दो प्रतियों में, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के अन्दर उपायुक्त एवं

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अनुसार किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे जो अनुबन्ध ।। में दिए गए प्रोफार्मा में उस द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखे गए लेखे के अनुरूप होंगे। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्वाचन खर्च के लेखे की एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(ख) उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उक्त उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट अधिकारी उम्मीदवार द्वारा उक्त उप–पैरा (क) के अन्तर्गत निर्वाचन खर्च का लेखा दर्ज करवाने की तिथि से 2 दिनों के अन्दर अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए नोटिस लगवाएगाः–

(I) *लेखा दर्ज करवाने की तिथि*

(II) *उम्मीदवार का नामः और*

(III) *समय तथा स्थान, जंहा ऐसे लेखों की जांच की जा सकती है।*

(ग) कोई भी व्यक्ति 5 रूपये फीस देकर ऐसे किसी लेखे की जांच करने का हकदार होगा और ऐसी फीस की अदायगी करने पर जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में नियत की जाए, ऐसे लेखे या उसके किसी भाग की साक्ष्यांकित प्रतियां प्राप्त करने के लिए भी हकदार होगा।

7. (क) निर्वाचन खर्च का लेखा दर्ज करवाते समय उम्मीदवार, रिकार्ड के रूप में विहित रजिस्टर भी पेश करेगा।

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन खर्च की विवरणियां प्रस्तुत करते समय अनुबन्ध–III में एक शपथपत्र भी देगा कि प्रोफार्मा में सूचीबद्ध मदों में शुन्य दिखाया गया खर्च, अथवा उसमें खाली छोड़ी गयी मद यदि कोई है, पर उसके द्वारा कोई खर्च नहीं किया या है। इस शपथपत्र में यह भी स्पष्ट बताया जाएगा कि निर्वाचन से सम्बद्व सूचीबद्ध मदों पर किया गया समूचा निर्वाचन खर्च प्रायः विवरणी में पूरी तरह शामिल किया गया है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

8. इस आदेश के अनुबन्ध–I में दिखाए गए अनुसार मानक प्रोफार्मा में एक रजिस्टर, अनुबन्ध–II के अनुसार प्रोफार्मा और अनुबन्ध–III के अनुसार शपथपत्र का नमूना निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को उसके नामांकन के बाद खर्च का दैनिक लेखा रखने और विभिन्न मदों पर हुए कुल खर्च को दर्शाने के लिए दिया जाएगा।

9. चूंकि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन खर्च की विवरणी को "समूचें" निर्वाचन खर्च के लेखे के सम्बन्ध में "सही" दर्शाया जाना है अतः उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा उक्त पैरा 6 के उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट अधिकारी उम्मीदवार के लेखे निर्धारित ढंग के अनुसार हैं, ऐसा स्वीकार करने से पूर्व, ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे और आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजते समय प्रस्तुत दस्तावेजों के संदर्भ में और उपयुक्त जांच के माध्यम से अपने द्वारा सत्यापित अनुसार आयोग को यह प्रमाणित करेगा कि लेखा विवरणियां निर्धारित ढंग के अनुरूप हैं।

10. उक्त प्रकिया के माध्यम से दायर की गई विवरणियों की प्रमाणिकता की अधिजांच करने का इच्छुक आयोग किसी उम्मीदवार को किसी चूक या गलत बयानी के लिए व्यक्तिगत रूप से उतरदायी ठहराएगा।

11. निर्वाचन खर्च का लेखा प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपात्रता यदि राज्य निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट हो जाता कि कोई व्यक्तिः–

(क) इस आदेश के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार समय के अन्दर तथा ढंग से निर्वाचन खर्च का लेखा पेश करने में असमर्थ रहता है, और,

(ख) ऐसा करने में असफल रहने का कोई ठीक कारण या कोई औचित्य नहीं दे तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे अपात्र घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अपात्र होगा।

12. ऐसे निर्देश पूर्णतया अनिवार्य होते हैं और आयोग के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना न तो स्थानीय रूप से कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इसमें किसी प्रकार की छूट की अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं होगा।

13. अनुदेश तथा निदेश जारी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति– राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित अनुदेश और निदेश जारी कर सकता हैः–

(क) इस आदेश के किसी उपबन्ध के स्पष्टीकरण के लिए।

(ख) किसी ऐसे उपबन्ध के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आने वाली किसी कठिनाई का दूर करने के लिए।

(ग) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन खर्च विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने सम्बन्धी किसी मामले के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या उपबन्ध अपर्याप्त है और राज्य निर्वाचन आयोग की राय में सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव करवाने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक है।

14. इस आदेश की एक–एक प्रति सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के स्थानीय युनिट को और प्रत्येक उम्मीदवार को या अपने नामांकन (नामांकन के समय न की नामांकनों की संवीक्षा के समय) के समय उस द्वारा प्राधिकृत एजेंट को पावती सहित उपलब्ध करवायी जाए।

15. इस आदेश का सभी सुलभ और सम्भव साधनों के माध्यम से व्यापक सम्भव प्रचार किया जाए।

दिनांक, चण्डीगढ़ — *जे0के0दुग्गल*
13 मई, 1996 — *राज्य निर्वाचन आयुक्त,*
हरियाणा।

पावती

-------------------------------उम्मीदवार का ---------------------निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिस का परिणाम----------------------(तारीख) को घोषित किया गया था, निर्वाचन खर्च का लेखा---------------------------(तिथि) को उस द्वारा और उस की ओर से प्रस्तुत किया गया, जो आज दिनांक--------------------को मुझे प्राप्त हुआ।

जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला----------------

अनुबन्ध–III
शपथपत्र–फार्म

———————————

———————————————————————के जिला की———————————————————ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद वार्ड के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ————————————————————————————————(जिला)/निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख श्री————————————————————————————— सुपुत्र श्री—————————————————————————————————— का शपथपत्र।

मैं———————————————————सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री——————————————————— आयु——————————निवासी—————————————————————————————————————एतद द्वारा ईमानदारी निष्टापूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता हूं कि:–

(1) मैं—————————————————————————————ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की वार्ड————————————————से आम चुनाव/उप–चुनाव का प्रतियोगी उम्मीदवार था इस का निर्वाचन परिणाम————————————————तिथि को घोषित हुआ था।

(2) मैंने/मेरे निर्वाचन एजेन्ट ने————————————————————से———————————————तिथि तक (मेरी नामांकन तिथि———————————————————से परिणाम घोषणा की तिथि तक जिस में दोनों दिन शामिल हैं)

उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध मेरे द्वारा अथवा मेरे निर्वाचन एजेण्ट द्वारा किए गए अथवा प्राधिकृत सभी प्रकार के खर्च का लेखा पृथक और सही रखा गया है।

(3) उक्त लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए प्रोफार्मा में रखा गया है और इसकी एक सही प्रति उक्त लेखे में उल्लिखित सहायक वाउचरों बिलों सहित यहां सलंग्न की जाती है।

(4) इससे सलंग्न अनुबन्ध में दिखाए गए अनुसार मेरे निर्वाचन खर्च के लेखे में मेरे द्वारा अथवा मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा किए गए या प्राधिकृत निर्वाचन खर्च की सभी मदें शामिल हैं तथा इसमें किसी भी खर्च को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

(5) पूर्ववर्ती पैरे (1) से (4) में दिया गया विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है और इसमें कछ भी गलत नहीं है और कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है ———————————————————————————————उम्मीदवार का,——————————————निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जिस का परिणाम————————————(तारीख) को घोषित किया गया था, निर्वाचन खर्च का लेखा।

अनुबन्ध–I

निर्वाचन खर्च प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्म

उम्मीदवार का नामः
राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई है,
निर्वाचन क्षेत्र, जहां से चुनाव लड़ा गयाः
परिणाम घाोषित होने के तिथिः

(दैनिक लेखा)

खर्च करने की तिथि	खर्च की किस्म	खर्च का लेखा अदा किया गया	बकाया	अदायगी की तिथि	आदाता का नाम और पता	राशि की अदायगी की स्थिति में वाउचर कम संख्या	राशि बकाया होने की स्थिति में बिल कम संख्या	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे बकाया राशि अदा की जानी है	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि यह मेरे/मेरे निर्वाचन
एजेन्ट द्वारा रखे गए लेखे के अनुरूप है।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

निर्वाचन खर्च का संक्षिप्त ब्यौरा (अनुबन्ध–ाा)

खर्च की मद	मात्रा/ संख्या	खर्च करने वाले या प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति/राजनैतिक दल/निकाय/ संस्था का नाम	खर्च की राशि	अदायगी की तिथि (तिथिया)	अदायगी का ढंग	लेखे के साथ सलंग्न किया गया अदायगी का प्रमाण पत्र	विशेष कथन
1. नामांकन फार्मो की लागत							
2. प्रतिभूति जमा खर्च							
3. मतदाता सूचियों की प्रतियां खरीदने पर खर्च							
4. अभियान कार्यालयों का किराया खर्च							
5. घोषणापत्रो के मुद्रण पर खर्च							
6. व्यक्तिगत इति वृत मुद्रण खर्च							
7. पोस्टरों का मुद्रण खर्च							
8. विज्ञाप पत्रों का मुद्रण खर्च							
9. पोस्टर लगाने पर खर्च							
10. विज्ञापन पत्र बांटने पर खर्च							
11. दिवारों पर लिखवाने का खर्च							
12. विज्ञापन प्रकाशन खर्च							
13. सार्वजनिक बैठकों के लिए प्रचार खर्च							
14. सार्वजनिक बैठकों के निमित लिए गए स्थानों के किराया प्रभार							
15. सार्वजनिक बैठकों के लिए पण्डालों आदि के किराया प्रभार							
16. सार्वजनिक बैठकों के लिए लाउडस्पीकरों के किराया प्रभार							
17. सार्वजनिक बैठकों के लिए फोटोग्राफरों के पारिश्रमिक प्रभार							
18. वीडियो कैसेट बनाने और दिखाने का खर्च							
19. ओडियो कैसेट बनाने और चलाने का खर्च							
20. अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे							
21. गेट और महराबे बनाने पर हुआ खर्च							

22. उम्मीदवार द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
23. निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
24. मतदान एजेन्ट द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
25. गणना एजेन्ट द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
26. निर्वाचन एजेन्ट को दिए गए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत							
27. मतदान एजेन्टों को दिए गए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत।							
28. गणना एजेन्टों को दिए गए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत							
29. घर–घर जाने वाले कामगारों को दिए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत							
30. सार्वजनिक परिवहन द्वारा पार्टी मुख्यालय तक जाने पर हुआ खर्च।							
31. विविध खर्च (उक्त सूचीबद्ध से अन्यथा)							

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

ध्यान दीजिएः–1. इस प्रोफार्मा के साथ एक शपथपत्र अवश्य लगाया जाना चाहिए शपथपत्र के बिना खर्च की की कोई विवरणी स्वीकार नहीं की जाएगी।

2. लेखा उम्मीदवार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा, यदि यह उसके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ओर उम्मीदवार द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि यह लेखे के अनुरूप है।

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
S.C.O.NO.16-17, SECTOR 20-D, CHANDIGARH

ORDER

No.SEC/4E-III/2007/8769 Dated : 26.06.2007

Whereas, the State Election Commission has issued orders dated 30.05.1996 vide Endst. No.SEC/3E-III/96/7675-97 dated 7th June, 1996 called the Haryana Panchayati Raj Election Expenditure (Maintenance and Submission of accounts) order, 1996.

2. Whereas these orders provides that every candidate contesting election for the post of Panch/Sarpanch of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad, shall have to maintain day to day election expenditure account in accordance with the procedure laid down on Para 5 of these orders and shall have to lodge his account of election expenses within 30 days from the date of declaration of result of the election in the prescribed format.

3. Whereas, in Para–11 of the said orders, there is provision for disqualification of the candidates contesting election for the post of Panch/Sarpanch of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad, for failure to lodge account of election expenses, which is hereby amended and shall be read as under:-

11. Disqualification for failure to lodge account of election expenses:-

If the State Election Commission, in case of Sarpanch of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti & Member of Zila Parishad; and Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (Panchayat), in case of Panch of Gram Panchayat, is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner require under this order and

(b) has no good reason or justification for the failure, the State Election Commission/Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (Panchayat) shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and may such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.

Dated Chandigarh
the 25th June, 2007

CHANDER SINGH
State Election Commissioner,
Haryana

चुनाव खर्च की सीमा :

खर्चे की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है जिसकी पालना अनिवार्य है :–

(1)	पंच	Rs. 5000/-
(2)	सरपंच (जिस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हो)	Rs. 15000/-
(3)	सरपंच (जिस ग्राम पंचायत में 15 से ज्यादा वार्ड हो)	Rs. 25000/-
(4)	पंचायत समिति	Rs. 50000/-
(4)	जिला परिषद्	Rs. 100000/-

अध्याय–13

पंचायत निर्वाचन के लिये

आदर्श आचरण संहिता

स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्धेश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों और शासकीय कर्मियों और विभागों के लिये आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है । आपसे अपेक्षा है कि निर्वाचन के निर्विघ्न संचालन तथा नैतिकता और शुचिता का उच्च स्तर बनाये रखने के लिये आचरण संहिता का पालन करें। यदि राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रतीत हो कि भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों के कारण स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराना सम्भव नहीं है तो आयोग संविधान द्वारा अपेक्षित अपने दायित्वों के निर्वाह के लिये, किसी भी स्टेज पर, निर्वाचन प्रकिया स्थगित करने या अन्य विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिये समुचित कदम उठा सकता है ।

भाग–एक उम्मीदवारों के लिये

1. *सामान्य आचरण :*

(1) *किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचें या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो ।*

(2) *मत प्राप्त करने के लिये धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातिय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।*

(3) *पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिये नहीं किया जाना चाहिये।*

(4) *किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये जिनका सम्बन्ध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहियें जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।*

(5) *किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिये तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिये।*

(6) *प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिये, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसें भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्यो या विचारों का विरोध करने के लिये किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिये।*

(7) *राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिये जो चुनाव कानून के अन्तर्गत अपराध हों जैसे कि :–*

(i) *ऐसा कोई पोस्टर, इश्तिहार, पैम्फलैट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,*

(ii) *किसी उम्मीदवारों के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्वेश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के सम्बन्ध में ऐसे कथन*

या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,

(iii) *किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,*

(iv) *मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना,*

(v) *मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना,*

(vi) *मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना,*

(vii) *मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना,*

(viii) *मतदान केन्द्र में या आस पास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना,*

(ix) *मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान का प्रयास करना ।*

(8) *मतदान के एक दिन/दो (जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो)पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिये।*

(9) *किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यो के लिये, उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिये और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिये।*

(10) *किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाए गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिये।*

(11) *मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिये और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न नहीं होना चाहिये। पर्ची मे मतदाता का नाम, उसके <u>पति/पिता</u> का नाम, वार्ड कमांक, मतदान केन्द्र कमांक तथा मतदाता सूचि में उसके कमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिये।*

(12) *मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन डयूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिये।*

2. *<u>सभाएं एवं जुलूस</u> :*

(1) *किसी हाट, बाजार या भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिये तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिये ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियन्त्रित करने के लिये पुलिस आवश्यक प्रबन्ध कर सके।*

(2) *प्रत्येक राजनैतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जूलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिये। यदि दो भिन्न–2 दलों या उममीदवारों द्वारा पास–2 स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हो तो ध्वनि विस्तारक यत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिये।*

(3) *किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जूलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिये जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जानी चाहिये। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिये जिनको लेकर चलने पर प्रतिबन्ध हो या जिनका उतेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।*

(4) *प्रत्येक उम्मीदवार या राजनैतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान से जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन या आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिये।*

3. ***<u>शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के चुनाव प्रचार में उपयोग पर प्रतिबन्ध :</u>***

शासन सहित सार्वजनिक उपकमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों, संसाधनों जैसे कि टेलीफोन, फैक्स अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार के हित को आगे बढाने के लिये नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को उनके नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, पंचायतों के पदाधिकारियों या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिये।

भाग–दो–– शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिये

1. *निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपकम द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो ; जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना (स्कीम) या कार्य के लिये स्वीकृति जारी करना।*

2. *शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए, जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।*

3. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमन्त्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।

4. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतू अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिये जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया है ।

5. विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को उन्हीं शर्तो पर करने दिया जाना चाहिए जिन शर्तो पर उनका उपयोग सताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है । परन्तु किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिये करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

6. (1) साधारणतः चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाये उसे चुनाव सम्बन्धी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिये। ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिये तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिये।

(2) यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी पंचायत क्षेत्र का भ्रमण करे (जहां कि चुनाव होने वाले हों) तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिये और उसमें सुरक्षा के लिये तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी शासकीय कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिये। ऐसे दौरे के लिये शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिये ।

7. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रिगण या संसद सदस्यों या विधान सभा सदस्यों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में, जहां कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसर्म्पक निधि या क्षेत्र राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिये। इस अवधि के दौरान किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिये।

8. चुनाव के दौरान समाचार पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से, सरकारी खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किये जाने चाहिए जिनमें सताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिनसे सताधारी दल को अपने दलीय हितों को आगे बढाने में सहायता मिलती हो ।

भाग–तीन ––त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये :

नोटः इस भाग में पंचायत से अभिप्रायः, यथास्थिति, जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत से है ।

1. पंचायत कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्क्षता से करना चाहिये और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिये जिससे ये आभास हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं ।

2. *निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तक :–*

(i) *पंचायत के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिये;*

(ii) *पंचायत क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निमार्ण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिये;*

(iii) *पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृति के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए ;*

(iv) *पंचायत क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिये स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये, वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नय का कोई कार्य (जैसे किसी–2 सड़क को चौड़ा करना या डामीकृत करना या उसमें खड़ंजे बिछाना, नालियों को पक्का करना, नल जल योजना का विस्तार करना, नए हैन्डपम्प लगाना, नई स्ट्रीट लाईट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिये। पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ हो, प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिये और किसी योजना का शिलान्यास या उद्‌घाटन नहीं किया जाना चाहिये ;*

(v) *किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिये कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये ;*

(vi) *पंचायत के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलैट जारी नहीं किया जाना चाहिये जिसमें पंचायत की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो;*

(vii) *पंचायत के माध्यम से कियान्वित किये जाने वाले, परिवार या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों (जैसे कि रोजगार/व्यवसाय के लिये सहायता, सिंचाई स्रोत या आवास के निमार्ण के लिये सहायता, निराश्रित पैंशन, वृद्धावस्था पैंशन आदि) के अन्तर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिये ;*

3. *किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदाधिकारी (जैसे कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिये और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिये ।*

परिशिष्ट–एक

पंचायत निर्वाचन

अर्हता/निरर्हता के विषय में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उद्धरण ।

*171. **मिथ्या घोषणा करना–– यदि कोई व्यक्ति–***

(क) किसी मतदाता सूची को तैयार, पुनरीक्षित अथवा संशोधित करना,

(ख) किसी मतदाता सूची में या से किसी प्रविष्टि का समावेश न या अपवर्जन करने, से संबद्ध लिखित रूप में कोई कथन अथवा घोषणा करता है, जो मिथ्या है, तथा जिसे या तो वह जानता है या मिथ्या होने का विश्वास करता है अथवा सत्य होने का विश्वास नहीं करता है, वह कारावास की ऐसी अवधि से एक वर्ष तक हो सकता है अथवा एक हजार रूपये जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

*172. **मतदाता सूची तैयार करने इत्यादि से संबद्ध में सरकारी कर्तव्य का उल्लंघन** –(1) यदि, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अपेक्षित कोई सरकारी सेवक अथवा अन्य कोई व्यक्ति किसी मतदाता सूची को तैयार करने, पुनरीक्षित करने अथवा संशोधित करने से संबद्ध किसी सरकारी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए युक्तियुक्त कारण के बिना, ऐसे सरकारी कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माना से जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।*

(2) *यथापूर्वोक्त ऐसे किसी उल्लंघन के संबंध में हुई हानि के लिए, किसी ऐसे अधिकारी अथवा व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएगी।*

(3) *सरकार अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा प्राधिकार के अधीन किसी शिकायत के सिवाय, कोई भी न्यायालय उपधारा* (1) *के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।*

*173. **मतदान तथा निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य व्यक्ति**–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में है, जब तक इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य नहीं कर दिया जाता तब तक निर्वाचन खण्ड के लिए जिससे ऐसी सूची संबद्ध है, किसी सदस्य के निर्वाचन हेतु मत देने के लिए योग्य होगा*

(2) *प्रत्येक व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष की आयु का हो गया है, तथा जिसका नाम मतदाता सूची में है, जब तक इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य नहीं कर दिया जाता, किसी निर्वाचन खण्ड से निर्वाचित किए जाने के योग्य होगा*

(3) *कोई भी व्यक्ति जिसका नाम गांव के लिए मतदाता सूची में समाविष्ट नहीं है, उसके किसी निर्वाचन खण्ड से निर्वाचित किए जाने के योग्य नहीं होगा*

(4) *किसी व्यक्ति की किसी अयोग्यता के अधीन रहते हुये, इस धारा के अधीन यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या कोई व्यक्ति, यथास्थिति, मतदान या*

किसी चुनाव पर निर्वाचित किए जाने के योग्य है अथवा नहीं मतदाता सूची अंतिम साक्ष्य होगी।

173 क 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 को 1951 के केन्द्रीय अधिनियम 43 की कतिपय धाराओं का लागू होना––*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43), की धारा 20 ख, 33क, 134क, 134ख, 135ख तथा 135 ग के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे*

परन्तु धारा 135 ख के उपबंध क्षेत्र के निवासियों को लागू होगे।

174. आयिक या दोहरी सदस्यता के लिए प्रतिबंध–(1) कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, विधानसभा और लोकसभा का एक साथ सदस्य नहीं होगा।

(1क) यदि कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का सदस्य है और वह विधानसभा अथवा लोकसभा के लिए चुना जाता है तो वह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के चुने हुए सदस्य पद पर आसीन नहीं रहेगा। यह उस दिन से लागू होगा जिस दिन वे वह विधानसभा अथवा लोकसभा के लिए निर्वाचित धोषित किया जाता है।

(2) *यदि कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के सदस्य रूप में एक साथ चुना जाता है, जो व्यक्ति परिणाम के प्रकाशित होने की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर, राज्य निर्वाचन आयोग को, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद जैसी भी स्थिति हो, जिसमें वह सेवा करना चाहता है के नाम की सूचना देगा तथा उसके बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद में, जिसमें वह सेवा करना चाहता है, से भिन्न उसका स्थान, रिक्त हो जाएगा।*

(3) *उपधारा* (2) *के अधीन दी गई कोई भी सूचना अन्तिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।*

(4) *पूर्वोक्त अवधि के भीतर, उपधारा* (2) *में निर्दिष्ट सूचना देने में व्यक्तिकम होने पर, राज्य निर्वाचन आयोग यह अवधारित करेगा कि उसे कौन सा स्थान रखना है तथा उसके बाद शेष स्थान जिनसे वह चुना गया था, रिक्त हो जायेगें।*

175. ***अयोग्यताएं***– *कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा पंच अथवा किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का सदस्य नहीं होगा अथवा इस रूप में नहीं बना रहेगा जोः*

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा बाद में :–

(i) *जब तक उसको सिद्ध दोषी से पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 22), के अधीन किसी अपराध ; या*

(ii) *जब तक उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, किसी अन्य अपराध का*

सिद्ध दोष न हो गया हो और कम से कम छः माह के कारावास से दण्डित रहा हो ; या

(ख) *किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित न्याय निर्णीत किया गया है ; अथवा*

(ग) *न्याय निर्णीत दिवालिया है और उन्मुक्ति प्राप्त न की हो ; अथवा*

(घ) *इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में अथवा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में उसके द्वारा धारित किसी पद से हटा दिया गया हो, और ऐसे हटाये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो, जब तक वह राजपत्र में अधिसूचित किये गये सरकार के किसी आदेश द्वारा पद से ऐसे हटाये जाने के मद्दे उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओ से निर्मुकत न कर दिया गया हो ; अथवा*

(ङ.) *इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन पद धारण करने से अयोग्य हो गया हो और अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य हो गया हो, बीत न गई हो ; अथवा*

(च) *किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में किसी वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारण करता है ;*

(छ) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के आदेश द्वारा किये गये किसी कार्य में स्वयं का या उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अशं या हित है ;*

(ज) *किसी ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से अग्रिम या उधार लिये गये धन के किसी संव्यवाहार में स्वयं का अथवा उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अशं या हित है ; या*

(झ) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् या उसके अधीनस्थ कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का उसके द्वारा देय किसी प्रकार का कोई बकाया अथवा इस अधिनियम के अध्यायों तथा उपबन्धों के अनुसार उससे वसूली योग्य कोई राशि, इस निमित बनाये गये नियमों के अनुसार उस पर तामील किये गये किसी नोटिस के पश्चात, तीन मास के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है ;*

(ञ) *सरकार का सेवक है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का सेवक है ; या*

(ट) *स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली गई है; अथवा किसी विदेशी राज्य की सत्यनिष्ठा अथवा निष्ठा की किसी अभिस्वीकृति के अधीन है ; अथवा*

(ठ) *इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन अयोग्य है तथा अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य किया गया था बीत नहीं गई है ; अथवा*

(ङ) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के अधीन पट्टे के लिये किसी अभिघृति का धारक, अभिधारी या पट्टाधारी है अथवा उसकी ओर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन धारित किसी पट्टे या अभिघृति के किराये के बकाया है ; या*

(ढ) *निर्वाचन की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद से सम्बन्धित भूमि या अन्य अचल सम्पति का अप्राधिकृत कब्जा है अथवा रखता है ; या*

(ण) *सरपंच या पंच या पंचायत समिति अथवा किसी जिला परिषद् का सदस्य होते हुये, नियमों के अधीन अनुज्ञात से अधिक नकदी हाथ में रखता है और विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रति वर्ष इक्कीस प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित उसे जमा नहीं करवाता है ; अथवा*

(त) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का सरपंच या पंच अथवा कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान या उप–प्रधान या सदस्य होते हुये, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् से सम्बन्धित अथवा उसमें निहित अभिलेख तथा पंजिया तथा अन्य सम्पति उसकी अभिरक्षा में है, तथा उसे विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, आदेश में विर्निदिष्ट समय के भीतर सौंप नहीं देता ;*

(थ) *आलोपित ;*

(द) *इस सम्बन्ध में उचित प्राधिकारी के बिना ग्राम पंचायत के विरूद्ध दावा मान लेता है;*

(ध) *नामांकन भरते समय मिथ्या जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है :*

परन्तु खण्ड (द) तथा (ध) के अधीन निर्हता छः वर्ष की अवधि के लिए होगी।

व्याख्या 1 *:– कोई भी व्यक्ति खण्ड छः के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की सदस्यता के लिये केवल इस कारण से अयोग्य नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति :–*

(क) *किसी सयुंक्त स्टाक कम्पनी में शेयर रखता है अथवा उस समय लागू किसी विधि के अधीन किसी पंजीकृत सोसयटी में कोई अशं या हित रखता है, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में संविदा करेगा तथा उसके द्वारा अथवा उसके निमित नियोजित किया जायेगा ; अथवा*

(ख) *किसी समाचार पत्र में कोई शेयर या हित रखता है जिसमें किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के कार्य कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रतिस्थापित किया जाये ; अथवा*

(ग) *किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी ऋण में किसी डिबेन्चर का धारक है या अन्यथा सम्बन्ध है ; अथवा*

(घ) *एक विधि व्यवसायी के रूप में किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की ओर से व्यवसायिक रूप में लगा हुआ है ; अथवा*

(ङ) *अचल सम्पति के किसी पट्टे में, जिसमें उसके अपने मामले में किराये की राशि का अनुमोदन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा किया गया है अथवा अचल सम्पति के विक्रय या क्रम में, अथवा ऐसे पट्टे, विक्रय या क्रय के किसी करार में, कोई शेयर अथवा हित रखता है; अथवा*

(च) *किसी वस्तु के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् को यदा–कदा किये जाने वाले विक्रय जिसमें वह नियमित रूप में व्यापार करता है, या किसी वस्तु का ग्राम पंचायत से क्रय में जिसका मूल्य दोनों में से किसी भी दशा में किसी वर्ष में एक हजार रूपये से अधिक नहीं होगा, शेयर या हित रखता है।*

व्याख्या 2 :– *कोई भी व्यक्ति, यदि उसने उम्मीदवारों के नामांकन के लिये विहित दिन से पूर्व उपरोक्त खण्ड* (i) *में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो अयोग्य नहीं समझा जायेगा।*

*4. **अन्य अपराध बारेः–1. मतदान केन्द्र में या उसके समीप प्रचार का प्रतिषेधः–हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 180 के अन्तर्गत** कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान केन्द्र में उस तिथि या उन तिथियों पर, जिन पर, कोई मतदान किया जाना है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में किन्हीं कृत्यों में से निम्नलिखित को नहीं करेगा, अर्थात––*

मतों के लिए प्रचार,

किसी मतदाता का मत माँगना,

किसी मतदाता को निर्वाचन पर मत न देने के लिए प्रेरित करना,

किसी मतदाता को किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने के लिए प्रेरित करना,

निर्वाचन से संबन्धित कोई नोटिस या चिन्ह कार्यालय नोटिस से भिन्न, प्रदर्शित करना,

अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त अनुसार नियमों की उल्लंघना करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जोकि एक हजार रूपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

*2. **मतदान केन्द्र में या उसके समीप विषवत संचालन के लिए शास्ति– हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 181 के अन्तर्गत** कोई भी व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों पर, जिन पर किसी मतदान केन्द्र पर चुनाव होता है,–*

मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के भीतर या पर या उसके आसपास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मानव आवाज को परिवर्धित करने के लिए किसी संयंत्र का, जैसे कि कोई मैगाफोन या कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा या संचालित नहीं करेगा,

अथवा

मतदान केन्द्र के प्रवेश–द्वार के भीतर या पर, या उसके आसपास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मतदान केन्द्र पर मत के लिए जा रहे किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए या मतदान केन्द्र में ड्यूटी पर अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधा डालने के लिए शोर नहीं मचाएगा या अन्यथा विच्छृंखल रीति में कार्रवाई नहीं करेगा ।

अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों की उल्लंघना करता है या जानबूझकर उल्लंघन के लिए सहायता करता है या उकसाता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक हो सकता है दंडनीय होगा ।

यदि किसी मतदान केन्द्र के किसी पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध कर रहा है अथवा किया है तो वह किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के निर्देश दे सकता है तथा उस पर पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी करेगा ।

कोई भी पुलिस अधिकारी उपरोक्त नियमों की उल्लंघना को रोकने के लिए ऐसे कदम उठा सकता है तथा ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो तथा ऐसे उल्लंघन के लिए प्रयोग किए किसी संयंत्र को कब्जे में ले सकता है ।

*3. **मतदान केन्द्र पर दुराचार के लिए शास्ति :– हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 182 के अन्तर्गत** कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र पर, मत के लिए नियुक्त घंटों के दौरान स्वयं दुराचार करता है अथवा पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा या ड्यूटी पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकता है ।*

उपरोक्त प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग किसी मतदाता को जो उस मतदान केन्द पर मतदान के लिये अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र पर मतदान का कोई अवसर प्राप्त करने से रोकने के लिये नहीं किया जायेगा।

यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार मतदान केन्द्र से हटाया गया है, पीठासीन अधिकारी की आज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तो वह दोषसिद्ध पर, जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

उपरोक्त के अनुसार दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

*4. **मतदान को गुप्त बनाये रखना :– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 183 के अन्तर्गत** जहां कोई निर्वाचन किया जाता है, प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो मतों को अभिलिखित करने या गिनने के सम्बन्ध किसी कर्तव्य का अनुपालन करता है, मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा तथा बनाये रखने में सहायता करेगा तथा (किसी विधि द्वारा या के अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के सिवाय) ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिये संगणित कोई सूचना किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं करेगा ।*

अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है या पांच सौ रूपये के जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।

5- ***निर्वाचन पर अधिकारी इत्यादि का उम्मीदवारों के लिये कार्य न करना या मतदान को प्रभावित न करना :– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 184 के अन्तर्गत*** *कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी है, निर्वाचन के संचालन में किसी उम्मीदवार के निर्वाचनों को संभाव्यता को अग्रसर करने के लिये कोई भी कृत्य (अपना मत देने से भिन्न) नहीं करेगा ।*

यथा पूर्वोक्त ऐसा कोई व्यक्ति, तथा किसी भी पुलिस बल की कोई संख्या निम्नलिखित का प्रयास नहीं करेगा :–

किसी निर्वाचन पर अपना मत देने के लिये किसी व्यक्ति को प्रेरित करने का, अथवा

किसी निर्वाचन पर अपना मत देने के लिये किसी व्यक्ति को रोकने का, अथवा

किसी निर्वाचन पर किसी भी रीति में, मतदान या किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का ।

अगर कोई भी व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास तक हो सकती है, या एक हजार रूपये कें जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

6- ***निर्वाचन से सम्बन्ध में सरकारी कार्य का उल्लंघन :– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 185 के अन्तर्गत*** *यदि कोई व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, उसके किसी युक्तियुक्त कारण बिना अपने सरकारी कर्तव्यों के उल्लंघन में, या किसी कार्य या लोप का दोषी है, तो वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।*

ऐसे व्यक्ति जिनको यह धारा लागू होती है, रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा कोई अन्य व्यक्ति हो, जो मतदान सूचि के रखरखाव, नामांकनों की प्राप्ति या उम्मीदवारी वापिस लेने या अभिलेखन या किसी निर्वाचन में मतो की संगणना से सम्बन्ध किसी कर्तव्य के अनुपालन के लिये नियुक्त किये गये हैं तथा "सरकारी कर्तव्य" पद का अर्थ इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार लगाया जायेगा, लेकिन इसमें इस अधिनियम के द्वारा या अधीन से अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य शामिल नहीं है ।

7. ***मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना अपराध होना :– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अन्तर्गत*** *कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में, किसी मतदान केन्द्र से बाहर कपट से कोई मतपत्र ले जाता है, या ले जाने का प्रयत्न करता है या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करने में सहायता करता है, या करने के लिये उकसाता है, दोषसिद्धि पर कारावास से जो तीन मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।*

यदि किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कोई कारण है कि कोई व्यक्ति उपरोक्तानुसार दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है या किया है, ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले, गिरफतार कर सकता है या पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये निर्देश दे सकता है तथा ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकता है ।

परन्तु जब किसी महिला की तलाशी करवाई जानी आवश्यक हो तो तलाशी दूसरी महिला द्वारा शालीनता का सख्त ध्यान रखते हुये की जायेगी ।

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी पर पाया गया कोई मतपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये सौंप दिया जायेगा अथवा जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की जाती है, ऐसे अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा ।

उपरोक्त के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा ।

8. ***अन्य अपराध और उसके लिये शास्तियां :– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 187 (1) के अन्तर्गत अगर*** *कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी होगा , यदि वह किसी निर्वाचन पर :–*

(क) किसी नामांकन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या नष्ट करता है, अथवा

(ख) किसी रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार द्वारा अथवा के अधीन लगाई गई कोई सूचि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करता है या नष्ट करता है, अथवा हटाता है, अथवा

(ग) किसी मतपत्र अथवा किसी मतपत्र पर सरकारी चिन्ह को कपटपूर्वक विरूपित करता है अथवा नष्ट करता है, अथवा

(घ) सम्यक प्राधिकार के बिना किसी मतपत्र को किसी व्यक्ति को सप्लाई करता है, अथवा

(ङ) किसी मतपत्र से भिन्न किसी वस्तु को कपटपूर्वक किसी मतपेटी में डालता है जो उसमें डाला जाना विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है, अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना निर्वाचन के प्रयोजन के लिये तब उपयोग में किसी मतपेटी अथवा मतपत्र को नष्ट करता है, लेता है, खोलता है, अथवा अन्यथा दखल देता है, और

(छ) कपटपूर्वक अथवा प्राधिकार के बिना, जैसी भी स्थिति हो, किसी पूर्वगामी कार्यों को करने का यत्न करता है अथवा ऐसे कार्यों को करने में जानबूझकर सहायता करता है अथवा दुष्प्रेरित करता है या तथा

(ज) नामांकन भरते समय, यथास्थिति, मिथ्या घोषणा करता है या शपथ–पत्र में मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करता है या कोई सूचना छुपाता है।

धारा 187 (2) के अधीन किसी अपराध का दोषी कोई व्यक्ति :–

(क) यदि वह किसी मतदान केन्द्र में रिटर्निंग अधिकारी अथवा कोई पीठासीन अधिकारी है अथवा निर्वाचन के सम्बन्ध में सरकारी ड्यूटी पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी है, दोषसिद्धि पर किसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकती है अथवा एक हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा ।

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है, दोषसिद्ध पर किसी अवधि के लिये कारावास से जो छः मास तक हो सकती है अथवा पांच सौ रूपये जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति सरकारी डयूटी पर समझा जायेगा यदि उसकी ड्यूटी किसी निर्वाचन अथवा निर्वाचन के किसी भाग के संचालन में, भाग लेने के लिये है, जिसमें ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग किये गये मतपत्रो अथवा अन्य दस्तावेजो के लिये मतगणना अथवा निर्वाचन के बाद

उतरदायी होना शामिल है, किन्तु "सरकारी डॅयूटी" अभिव्यक्ति में इस अधिनियिम द्वारा अथवा के अधीन लगाई गई कोई डॅयूटी शामिल नहीं है ।

उपरोक्त के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

9. ***किन्ही अपराधों का अभियोजन :– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 188 के अन्तर्गत*** *कोई न्यायालय राज्य निर्वाचन आयोग से किसी आदेश द्वारा अथवा प्राधिकार के अधीन की गई किसी शिकायत पर सिवाय धारा 184 के अधीन अथवा धारा 185 के अधीन अथवा धारा 187 की उप–धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।*

परिशिष्ट–2

प्ररूप 4
(नियम 26)

नामांकन पत्र

सभा क्षेत्र/पंचायत समिति क्षेत्र/जिला परिषद् का नाम ______________________

वार्ड संख्या (पंच तथा सदस्य की दशा में)______________________

उम्मीदवार का नाम ______________________

पिता अथवा पति का नाम ______________________

आयु ______________________

व्यवसाय ______________________

पता ______________________

जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति /पिछडे वर्ग का सदस्य है तो वह विशेष जाति, जिससे सम्बन्धित है

____

क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली पर उम्मीदवार की संख्या ।

"उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं सरपंच/पंच /सदस्य, पंचायत समिति/सदस्य, जिला परिषद के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में स्वयं नामांकित हो गया हूँ /हो गई हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं नीचे अभिकथित तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 में दी गई कोई अयोग्यता नहीं रखता हूँ/रखती हूँ ।

कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा पंच अथवा किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का सदस्य नहीं होगा अथवा इस रूप में नहीं बना रहेगा जोः

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा बाद में :–

(i) जब तक उसको सिद्ध दोषी से पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 22), के अधीन किसी अपराध ; या

(ii) जब तक उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, किसी अन्य अपराध का सिद्ध दोष न हो गया हो और कम से कम छः माह के कारावास से दण्डित रहा हो ; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित न्याय निर्णीत किया गया है ; अथवा

(ग) न्याय निर्णीत दिवालिया है और उन्मुक्ति प्राप्त न की हो ; अथवा

(घ) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में अथवा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में उसके द्वारा धारित किसी पद से हटा दिया गया हो, और ऐसे हटाये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो, जब तक वह राजपत्र में

अधिसूचित किये गये सरकार के किसी आदेश द्वारा पद से ऐसे हटाये जाने के मद्दे उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओं से निर्मुक्त न कर दिया गया हो ; अथवा

(ड.) *इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन पद धारण करने से अयोग्य हो गया हो और अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य हो गया हो, बीत न गई हो ; अथवा*

(च) *किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में किसी वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारण करता है ;*

(छ) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के आदेश द्वारा किये गये किसी कार्य में स्वयं का या उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अशं या हित है ;*

(ज) *किसी ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से अग्रिम या उधार लिये गये धन के किसी संव्यवाहार में स्वयं का अथवा उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित है ; या*

(झ) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् या उसके अधीनस्थ कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का उसके द्वारा देय किसी प्रकार का कोई बकाया अथवा इस अधिनियम के अध्यायों तथा उपबन्धों के अनुसार उससे वसूली योग्य कोई राशि, इस निमित बनाये गये नियमों के अनुसार उस पर तामील किये गये किसी नोटिस के पश्चात, तीन मास के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है ;*

(ञ) *सरकार का सेवक है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का सेवक है ; या*

(ट) *स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली गई है; अथवा किसी विदेशी राज्य की सत्यनिष्ठा अथवा निष्ठा की किसी अभिस्वीकृति के अधीन है ; अथवा*

(ठ) *इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन अयोग्य है तथा अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य किया गया था बीत नहीं गई है ; अथवा*

(ड) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के अधीन पट्टे के लिये किसी अभिधृति का धारक, अभिधारी या पट्टाधारी है अथवा उसकी ओर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन धारित किसी पट्टे या अभिधृति के किराये के बकाया है ; या*

(ढ) *निर्वाचन की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद से सम्बन्धित भूमि या अन्य अचल सम्पति का अप्राधिकृत कब्जा है अथवा रखता है ; या*

(ण) *सरपंच या पंच या पंचायत समिति अथवा किसी जिला परिषद् का सदस्य होते हुये, नियमों के अधीन अनुज्ञात से अधिक नकदी हाथ में रखता है और विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रति वर्ष इक्कीस प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित उसे जमा नहीं करवाता है ; अथवा*

(त) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का सरपंच या पंच अथवा कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान या उप–प्रधान या सदस्य होते हुये, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् से सम्बन्धित अथवा उसमें निहित अभिलेख तथा पंजियां तथा अन्य सम्पति उसकी अभिरक्षा में है, तथा उसे विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, आदेश में विर्निदिष्ट समय के भीतर सौंप नहीं देता ;*

(थ) *आलोपित ;*

(द) *इस सम्बन्ध में उचित प्राधिकारी के बिना ग्राम पंचायत के विरूद्ध दावा मान लेता है;*

(ध) *नामांकन भरते समय मिथ्या जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है :*

परन्तु खण्ड (द) तथा (ध) के अधीन निर्हता छः वर्ष की अवधि के लिए होगी

व्याख्या 1 :– *कोई भी व्यक्ति खण्ड छः के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की सदस्यता के लिये केवल इस कारण से अयोग्य नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति :–*

(क) *किसी सयुंक्त स्टाक कम्पनी में शेयर रखता है अथवा उस समय लागू किसी विधि के अधीन किसी पंजीकृत सोसयटी में कोई अंश या हित रखता है, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में संविदा करेगा तथा उसके द्वारा अथवा उसके निमित नियोजित किया जायेगा ; अथवा*

(ख) *किसी समाचार पत्र में कोई शेयर या हित रखता है जिसमें किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के कार्य कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रतिस्थापित किया जाये ; अथवा*

(ग) *किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी ऋण में किसी डिबेन्चर का धारक है या अन्यथा सम्बन्ध है ; अथवा*

(घ) *एक विधि व्यवसायी के रूप में किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की ओर से व्यवसायिक रूप में लगा हुआ है ; अथवा*

(ङ) *अचल सम्पति के किसी पट्टे में, जिसमें उसके अपने मामले में किराये की राशि का अनुमोदन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा किया गया है अथवा अचल सम्पति के विकय या कम में, अथवा ऐसे पट्टे, विकय या कय के किसी करार में, कोई शेयर अथवा हित रखता है; अथवा*

(च) *किसी वस्तु के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् को यदा–कदा किये जाने वाले विकय जिसमें वह नियमित रूप में व्यापार करता है, या किसी वस्तु का ग्राम पंचायत से कय में जिसका मूल्य दोनों में से किसी भी दशा में किसी वर्ष में एक हजार रूपये से अधिक नहीं होगा, शेयर या हित रखता है।*

व्याख्या 2 *:– कोई भी व्यक्ति, यदि उसने उम्मीदवारों के नामांकन के लिये विहित दिन से पूर्व उपरोक्त खण्ड (i) में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो अयोग्य नहीं समझा जायेगा।*

तिथि ________________ *उम्मीदवार के हस्ताक्षर*

.... }

उम्मीदवार द्वारा घोषणा जो किसी अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग का सदस्य है

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ____________________________ *जाति का/की सदस्य हूं जो हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग के रूप में घोषित की गई है ।*

तिथि :– *उम्मीदवार के हस्ताक्षर*

____

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाना)

सुपुर्दगी का प्रमाण पत्र

क्रम संख्या ________________________यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय ____में (तिथि तथा समय) _______________________________ सुपुर्द किया गया है ।

तिथि :– _________

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

____

जांच का प्रमाण पत्र

मैंने उम्मीदवार की पात्रता की जांच कर ली है और यह पाया है कि वह निर्वाचन के लिये खड़ा होने के योग्य है और इसलिये मैं ___________ नामांकन पत्र स्वीकार करता हूं _______________________मैंने इस नामांकन पत्र की जांच की है और इसे निम्नलिखित कारणो से रद्द करता हूं ।

____

____

____

तिथि

नामांकन पत्र की जांच करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

उम्मीदवार को दिया गया प्रतीक __________________है ।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

____

अनुबन्ध–I

यादी कमांकः   दिनांकः

प्रेषक

रिटर्निंग अधिकारी
कृते ____________________

सेवा में

____
(इच्छुक उम्मीदवार का नाम)

विषय :– ______________ वार्ड नम्बर ________ से _______ पद के लिये निर्वाचन।

आपका ध्यान राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या राoनिoआo/ई–।।।/2003/8831 दिनांक 6/10/2003 के पैरा 10 की ओर दिलाया जाता है जिसके तहत वांछित सूचना पंचों व सरपंचों के मामलों में आयोग के पत्र कमांक एसoईoसीo/2ई–।।।/2005/17950–68 दिनांक 14/3/2005 अनुसार सादे पेपर पर, तथा सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद द्वारा पक्के कागज पर, ओथ कमिशनर/प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/ उपमण्डल अधिकारी (नाo) / तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसके पास कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां हों) जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है, के सम्मुख विधिवत रूप से गृहीत शपथ अनुबन्ध–।। में एक अन्य शपथ/घोषणा पत्र भी फाईल किये जाने कि अपेक्षा की जाती है, जो नामाकंन पत्र के साथ फाईल किया जाना चाहिए ।

यह भी नोट किया जाना चाहिये कि यदि उक्त वर्णित अनुबन्ध–।। में शपथ/घोषणा पत्र नामांकन पत्रों के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाता है तो आपका नामांकन पत्र रद्द किये जाने के लिये दायी होगा।

आप द्वारा यह बात नोट कर ली जानी चाहिये कि उक्त शपथ/घोषणा पत्र में कोई गलत अथवा अधूरी सूचना देने अथवा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाने के कारण तथा लोक सेवक को गलत सूचना देने अथवा उससे महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के कारण भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डात्मक परिणाम होगें।

रिटर्निंग अधिकारी

अनुबन्ध –।।

(आदेश संख्या रा0नि0आ0/ई–।।।/2003/8831 दिनांक 6/10/2003, के तहत उम्मीदवारों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के सम्मुख नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ/घोषणा पत्र)

टिप्पणीः–

(1) *पंचायत समिति व जिला परिषद के पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा शपथ पत्र न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर/प्रलेख पेपर पर तैयार किया जायेगा जो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) /तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी अधिकारी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हों) जिसके क्षेत्राधिकार में क्षेत्र आता है, के सम्मुख गृहीत शपथ किया जायेगा ।*

पंच व सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा वांछित शपथ/घोषणा पत्र सादे कागज पर तैयार किया जाये तथा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

(2) *कृपया अनुबन्ध की विषय वस्तु ध्यानपूर्वक पढ़े तथा जो आप पर लागू न हो उसे काट दें।*

ग्राम पंचायत ________________(नाम)____________(खण्ड) के सरपंच पद के लिये निर्वाचन अथवा

वार्ड संख्या _____ग्राम पंचायत ________________ (नाम) अथवा

पंचायत समिति ____________________(नाम) अथवा

जिला परिषद् ____________________ (नाम) के सदस्य के पद के लिये निर्वाचन।

मैं ____________________ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ____________________ आयु____________वर्ष निवासी __________________________________ उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी, सत्यानिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और निम्न प्रकार से एतद् द्वारा शपथ लेता/लेती हूँ ।

(1) *मुझे पूर्व में निम्नलिखित मामलो में आपराधिक आचरण के लिये दण्डित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–*

(i) *मुकदमा नम्बर*

(ii) *अधिनियम की धारा तथा आचरण का विवरण, जिसके लिये दण्डित किया गया है।*

(iii) *दण्डित किये जाने की तिथि*

(iv) *दण्डित करने वाला/वाले न्यायालय का नाम*

(v) दिया गया दण्ड (कैद की सजा की अवधि तथा/अथवा लगाये गये जुर्माने की राशि का उल्लेख करें)

(vi) उक्त दण्ड के विरूद्व दायर की गई अपीलो/पुनः निरीक्षण याचिकाओं आदि का विवरण ।

(2) यह कि मुझे पूर्व में निम्नालिखित मामलो में दोषमुक्त/बरी किया गया है:–

(i) अधिनियम की धारा तथा आचरण का विवरण, जिसके लिये आरोपित किया गया।

(ii) मुकदमा नम्बर

(iii) जिस न्यायालय द्वारा दोषमुक्त/बरी किया गया, उसका नाम

(iv) दोषमुक्त/बरी किये जाने की तिथि

(v) उक्त दोषमुक्त/बरी किये जाने के विरूद्व दायर की गई अपीलो/पुनः निरीक्षण/पुनः विचार हेतु आवेदन पत्रों, यदि कोई हो का विवरण ।

(3) यह कि वर्तमान नामांकन पत्र फाईल करने की तिथि से छः मास पूर्व समाप्त हुई अवधि में मुझे निम्नलिखित आचरणों, जिनमें दो वर्ष अथवा दो वर्ष से अधिक कैद की सजा हो सकती है, के लिये दोषारोपित किया गया है तथा जिनमें आरोप निर्धारित किये जा चुके है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

(टिप्पणीः– इसमें उक्त (1) व (2) में वर्णित मामले सम्मिलित नहीं है)

(i) अधिनियम की धारा तथा आचरण का विवरण जिसके लिये अरोपित किया है। संज्ञान लिया गया है ।

(ii) आरोप निर्धारित करने वाले/संज्ञान लेने वाले न्यायालय का नाम।

(iii) मुकदमा नम्बर

(iv) आरोप निर्धारित करने/सज्ञांन लेने के न्यायालय के आदेश की तिथि

(v) आरोप निर्धारित करने/सज्ञांन लेने के उक्त आदेशों के विरूद्व दायर की गई अपीलो/पुनः निरीक्षण हेतु आवेदन पत्रों, यदि कोई हो, का विवरण।

3. यह कि मैं इसमें अपना, पति/पत्नी तथा आश्रितों की परिसम्पतियों (अचल, चल, बैंक जमा आदि) का विवरण नीचे दे रहा हूं।

(क) चल सम्पति का विवरण

(संयुक्त नाम पर परिसम्पतियों में संयुक्त स्वामित्व का भी उल्लेख किया जाये)

क स0	विवरण	स्वंय	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–I का नाम	आश्रित–II का नाम	आश्रित–III आदि का नाम
	(i) नकद राशि का विवरण					
	(ii) बैंक ,वित्तीय संस्थानों और नान बैंकिग वित्तीय कम्पनियों में जमा राशि का विवरण।					

	(iii) कम्पनियों में बाण्डस डिबैन्चरस और शेयरों में निवेश की गई राशि का विवरण					
	(iv) अन्य वित्तीय इन्वैस्टमैन्टस, एन.एस.एस. ,डाक बचत, एल.आई.सी0 पालिसियां आदि में लगाई गई राशि का विवरण					
	(v) मोटरव्हीकलज (मेक इत्यादि सहित) का विवरण					
	(vi) जेवरात (भार और मूल्य सहित का विवरण)					
	(vii) अन्य परिसम्पतियों जैसे क्लेम के मूल्य/ब्याज का विवरण					

नोटः– **सूचिबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में स्टाक एक्सचेंज में अद्यतन बाजार मूल्य के अनुसार और असूचिबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में पुस्तक के अनुसार बाण्डो, शेयरों और डिबेंचरों का मूल्य दिया जाये ।**

(यहां आश्रित का अर्थ उस व्यक्ति से हे जो प्रत्याशी की आय पर पूर्णत आश्रित है।)

(ख) **अचल परिसम्पतियों का विवरण**

(सयुंक्त स्वामित्व की परिसम्पतियों में सयुंक्त स्वामित्व का भाग भी इंगित किया जायेगा)

क स0	विवरण	स्वंय	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–I का नाम	आश्रित–II का नाम	आश्रित–III आदि का नाम
	(i) कृषि भूमि – स्थिति (स्थितिया) – सर्वे संख्या/संख्यायें –विस्तार (पूर्ण माप) –वर्तमान बाजार मूल्य					
	(ii) **अकृषि भूमि** – स्थिति –सर्वे नम्बर –विस्तार (पूर्ण माप) –वर्तमान बाजार मूल्य					
	(iii) **भवन (वाणिज्यिक और आवासीय**) – स्थिति –सर्वे /मकान नम्बर –विस्तार (कुल माप) –वर्तमान बाजार मूल्य					
	(iv) **घर/बहुमंजिला मकान आदि** – स्थिति –सर्वे /मकान नम्बर –विस्तार (कुल माप)					

	–वर्तमान बाजार मूल्य					
	(v) **अन्य जैसे सम्पति पर ब्याज**					

4, नीचे अपने दायित्वों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के अतिशोध्य दायित्वों और सरकारी देयों का विवरण देता है ।

(नोट :– कृपया प्रत्येक का अलग–2 विवरण दें)

क. सं0	विवरण	बैंक/वित्तीय संस्थानों	दिनांक ––––तक लम्बित धनराशि
(क)	(1) बैंक से ऋण (2) वित्तीय संस्थाओं से ऋण (3) सरकारी बकाया (आयकर तथा सम्पति कर से भिन्न) (किसी सार्वजनिक कार्यालय में पद धारण अथवा पद धारण कर चुके हो तो अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
(ख)			
	(1) **आयकर /अधिभार सहित** (आंकलन वर्ष को इंगित करें जब तक का आयकर रिटरन दाखिल किया हो तथा स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) भी दें)		
	(2) **सम्पति कर** (जब तक सम्पति कर रिटरन दाखिल किया हो तब का आंकलन वर्ष इंगित करें)		
	(3) **विक्रय कर** (केवल स्वामित्व व्यापार के प्रकरण में)		
	(4) **सम्पति कर**		

5, मेरी शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित है :–

(स्कूल /विश्वविद्यालय शिक्षा का विवरण दें)

(स्कूल/विश्वविद्यालय और वर्ष जिसमें कोर्स पूरा किया गया है ? का नाम दिया जाये।

स्थानः–
दिनांकः–

शपथी
पूरा नाम ____________________
पता ______________________
____

सत्यापन :–

मैं उपर्युक्त शपथी एतद्द्वारा सत्यापित तथा घोषित करता हूं कि इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और न ही कोई सारभूत तथ्य छिपाया गया है ।

दिनांक ————————सन् ————————को ————————————————(स्थान)

स्थानः–
दिनांकः–

शपथी
पूरा नाम ______________________
पता __________________________
____

(जो लागू न हो उसे काट दे)

अनुबन्ध –III

यादी क्रमांक : दिनांक :–

प्रेषक

________________________के लिये
रिटर्निंग अधिकारी

सेवा में

____
(उम्मीदवार का नाम)

विषय :– सरपंच, ग्राम पंचायत __________ (नाम), सदस्य वार्ड संख्या ______ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् ________________(नाम) पद के लिये निर्वाचन ________________अपेक्षित शपथ पत्र फाईल करने के सम्बन्ध में ।

आपने उक्त वर्णित निर्वाचन के लिये आज अपना नामांकन पत्र फाईल किया है परन्तु आपने अपने नामांकन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने आदेश संख्या रा.नि.आ./ई–III/2003/8831 दिनांक 6–10–2003 में दिये गये निर्धारित शपथ/घोषणा पत्र फाईल नहीं किये हैं। शपथ /घोषणा पत्र के फार्मेट की प्रतियां आपको नामांकन पत्र के साथ दी गई थीं।

2. अतः इसके द्वारा, आपसे तत्काल एवं यथार्थ्य नामांकन पत्रों की संवीक्षा हेतू नियत तिथि और समय अर्थात् दिनांक ________________को ______________बजे से पूर्व वांछित सूचना पंचों तथा सरपंचों के मामलों में सादे पेपर पर तथा सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद द्वारा पक्के कागजों पर प्रथम श्रेणी मैजिस्टेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा उपमण्डल अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी मैजिस्टेट की शक्तियां प्रदान की गई है) जिसके क्षेत्र में क्षेत्राधिकार है, के सम्मुख विधिवत् रूप से गृहीत निर्धारित शपथ /घोषणा पत्र में आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।

3. आप यह भी नोट कर लें कि उक्त वर्णित शपथ/घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप आपका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जायेगा ।

रिटर्निंग अधिकारी

अनुबन्ध –**IV**

प्रेषक

वार्ड संख्या ______________ ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति/जिला परिषद्
__________________के लिये रिटर्निंग अधिकारी।

सेवा में

____
(उम्मीदवार का नाम)

विषय :– वार्ड _________से __________पद के लिये निर्वाचन ।

आज दिनांक ____________________को आपसे प्राप्त नामांकन पत्र के सन्दर्भ में, आपका नाम, नामांकन रजिस्टर में क्रम संख्या ________पर दर्ज किया गया है। आपकी जमानत राशि आपको पृथकत जारी की गई रसीद संख्या ___________दिनांक __________के अन्तर्गत प्राप्त हो चुकी है। नामांकन की संवीक्षा दिनांक __________को ________________बजे ____________________ (स्थान) पर की जायेगी।

आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में निर्वाचन व्यय लेखा रखना होगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जब भी अपेक्षा की जाये, इसे निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के पश्चात एक मास के अन्दर–अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा उपायुक्त–एंव–जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अनुसार किसी अन्य अधिकारी को दोहरी प्रति में प्रस्तुत करना होगा ।

रिटर्निंग अधिकारी

तारीख :
स्थान :

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) /
सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

परिशिष्ट–3

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा
निर्वाचन सदन प्लाट नं0 2, सैक्टर 17, पंचकूला।
अधिसूचना

क्रमांकः रा0नि0आ0/3ई–।।।/2009/390 दिनांकः 29.10.2009

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 56/2009/रा0दल0अनु0–।। दिनाक 14/9/2009 तथा हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 33 (2) के साथ पठित हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन निशान (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश संख्या एस0ई0सी0/ई–III/1996/6818, दिनांक 15.05.1996 के पैरा–5 की अनुपालना में राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा में पंच/सरपंच/सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद् के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए, अपनी अधिसूचना क्रमांक एस0ई0सी0/4ई–।।।/2005/4939 दिनांक 01/06/2005 का अतिक्रमण करते हुये निम्न चुनाव प्रतीकों की सूची प्रकाशित करता हैः–

(चुनाव प्रतीकों की सूची)

श्रेणी (क) राष्ट्रीय स्तर के दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक

क्र0सं0	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया	बाल और हंसिया
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सिस्ट)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा
5.	इंडियन नैशनल काँग्रेस	हाथ
6.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी
7.	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन

श्रेणी (ख) हरियाणा राज्य स्तरीय दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक

क्र0सं0	राज्यीय दल	आरक्षित प्रतीक
1.	हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी0एल0)	पनिहारिन
2.	इण्डियन नैशनल लोकदल	चश्मा

श्रेणी (ग) जिला परिषद सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक

क्र0 सं0	चुनाव प्रतीक	क्र0 सं0	चुनाव प्रतीक	क्र0 सं0	चुनाव प्रतीक
1.	गाड़ी	14.	पोत	27.	लेडी पर्स
2.	उगता सूरज	15.	हाकी और गेंद	28.	गैस सिलेंडर
3.	पतंग	16.	दो तलवार और एक ढाल	29.	ईंट
4.	रेड़ियो	17.	टोप	30.	गैस स्टोव
5.	जीप	18.	मटका	31.	स्लेट
6.	केतली	19.	अंगूठी	32.	गुलाब का फूल
7.	फावड़ा और बेलचा	20.	बल्ला	33.	गुब्बारा
8.	जग	21.	फाक	34.	मेज
9.	वायुयान	22.	मोमबत्तियां	35.	गैसबत्ती
10.	रोड़ रोलर	23.	सीटी	36.	मोरपंखा

11.	टेबल पंखा	24.	तितली	37.	कढ़ाई
12.	टेलीफोन	25.	सेब	38.	हारमोनियम
13.	स्कूटर	26.	नाव	39.	पीपल का पत्ता

श्रेणी (घ) पंचायत समिति सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक

1.	ब्लैक बोर्ड	10.	छत का पंखा	19.	हाथ चक्की
2.	दीवार घड़ी	11.	टेलीविजन	20.	डीजल पम्प
3.	बरगद का पेड़	12.	रेल का इंजन	21.	हाथ घड़ी
4.	झोंपड़ी	13.	लेटरबाक्स	22.	बारहसिंगा
5.	तराजू	14.	प्रेशर कुकर	23.	बकरी
6.	फसल काटता हुआ किसान	15.	घोड़ा	24.	बिल्ली
7.	ड्रम	16.	सिंह	25.	गिलहरी
8.	भोंपू	17.	मुर्गा	26.	तोता
9	अलमारी	18.	ढोलक		

श्रेणी (ङ) ग्राम पंचायत के सरपंच पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित चुनाव प्रतीक

1.	साईकिल	9.	घंटी	17.	कलम दवात
2.	कांच का गिलास	10.	टेबल लैम्प	18.	मछली
3.	फलों सहित नारियल का पेड़	11.	स्टूल	19.	कुंआ
4.	हस्तचलित पंप	12.	कबूतर	20.	मूली
5.	सिलाई की मशीन	13.	लट्टू	21.	छड़ी
6.	ताला और चाबी	14.	वायलिन	22.	गेहूं की बाली
7.	अनाज बरसाता हुआ किसान	15.	नल	23.	पुल
8.	सब्जियों की टोकरी	16.	बस	24.	केला

श्रेणी (च) ग्राम पंचायत के पंच पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित चुनाव प्रतीक

1.	सीढ़ी	6.	कैंची	11.	किताब
2.	फावड़ा	7.	कुर्सी	12.	आम
3.	बाल्टी	8.	छाता	13.	चाबी
4.	हल	9.	दो पत्तियां	14.	चारपाई
5.	कुल्हाड़ी	10.	बिजली का बल्ब	15.	दरवाजा

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा यह भी निर्देश देता है कि श्रेणी (क) तथा (ख) में दर्शाए गए सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के आरक्षित चुनाव प्रतीक केवल सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों को अलाट किये जायें जिन्हें सम्बन्धित राजनैतिक दल द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो।

दिनांकः पंचकूला
29 अक्तूबर, 2009

चन्द्र सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा ।

परिशिष्ट–4

प्ररूप–5

{देखिये नियम 31 का उपनियम (1)}

उम्मीदवार की वापसी का नोटिस

———————————के लिये निर्वाचन ——————————————
जिला परिषद् —————————की वार्ड संख्या ——————————
पंचायत समिति —————————की वार्ड संख्या ——————————
ग्राम पंचायत —————————का सरपंच
ग्राम पंचायत —————————की वार्ड संख्या

निर्वाचन अधिकारी
———————

मैं ————————पिता/पति का नाम ——————————
उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमान्य रूप से नामांकित रूप से उम्मीदवार इसके द्वारा नोटिस देता हूं कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापिस लेता हूं ।

स्थानः ——————————

विधिमान्य रूप से नामांकित
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तिथिः

यह नोटिस मेरे कार्यालय में ——————————————(बजे)-------------
(दिनांक) ————————द्वारा (नाम) उम्मीदार/उम्मीदवारो के अभिकर्ताओ द्वारा मुझे सपुर्द किया गया था ।

तिथिः ——————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

जो लागू न हो उसे काट दें।

————————————————————————————————

वापसी के नोटिस की रसीद

(नोटिस सुपुर्द करने वाले व्यक्ति को दिया जाना)

उम्मीदवार की वापसी का नोटिस ——————————के निर्वाचन में विधिमान्य रूप से नामांकित उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मेरे कार्यालय में ————————(बजे) —————————दिनांक को सुपुर्द किया गया था ।

तिथिः निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

————————————————————————————————

परिशिष्ट–5

प्ररूप–6

(देखिये नियम 32)

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

ग्राम पंचायत के पंच का निर्वाचन वार्ड संख्या से ____________

क्र0सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	आबंटित किये गये चिन्ह
1	2	3	4
1 2 3 4 इत्यादि			

स्थान :

दिनांक : निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

परिशिष्ट–5 क

प्ररूप–7

(देखिये नियम 32)

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन

क्र0सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	आबंटित किये गये चिन्ह
1	2	3	4
1 2 3 4 इत्यादि			

स्थान :

दिनांक : निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

परिशिष्ट–5 ख

प्ररूप–8

(देखिये नियम 32)

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

________ पंचायत समिति के वार्ड संख्या ____ से पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन

क्र0सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	आबंटित किये गये चिन्ह
1	2	3	4
1 2 3 4 इत्यादि			

स्थान :

दिनांक : निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

परिशिष्ट–5 ग

प्ररूप–9

(देखिये नियम 32)

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन

वार्ड संख्या से ____________

क्र0सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	आबंटित किये गये चिन्ह
1	2	3	4
1 2 3 4 इत्यादि			

स्थान :

दिनांक : निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

परिशिष्ट–6

प्ररूप–10

{देखिये नियम 35 के उप–नियम (1)}

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप

मैं ____________________ निर्वाचन के लिये उम्मीदवार वार्ड संख्या _____ से पंच ____________ ग्राम पंचायत ____________ सरपंच ग्राम पंचायत ____________ वार्ड संख्या ____________ से पंचायत समिति का सदस्य पंचायत समिति का ____________ वार्ड संख्या ____ से जिला परिषद् का सदस्य रखा जायेगा ____________ इसके द्वारा नियुक्ति ____________________

श्रीमान ____________________

अभिकर्ता का नाम

स्थान ____________ ____________________

दिनांक ____________ ____________________

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं उपरोक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूं ।

स्थान ____________ ____________________

दिनांक ____________ ____________________

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुमोदित

स्थान ____________ ____________________

दिनांक ____________ ____________________

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दिया जाये ।

परिशिष्ट–7

प्ररूप–22

{देखिये नियम 35–क का उप–नियम (1)}

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

*——————————————ग्राम पंचायत की वार्ड संख्या ——————————से पंच/*सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————————*वार्ड संख्या ———से ———————————————पंचायत समिति के सदस्य *वार्ड संख्या ——————————से ————————जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन ।

मैं ——————————उम्मीदवार ——————————————जो उपर्युक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, का निर्वाचन अभिकर्ता इसके द्वारा ——————————————————(नाम तथा पता) को ———————————— पर स्थित मतदान केन्द्र संख्या ——————————पर हाजिर होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं ।

स्थानः ——————————————

तिथि : उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं ।

स्थानः ——————————————

तिथिः मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के समक्ष मतदान अभिकर्ता की घोषणा का हस्ताक्षरित किया जाना।

मैं इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि मैं उपरोक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा।

मेरे सामने हस्ताक्षारित किया गया । ——————————

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थानः ——————————

तिथि पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

परिशिष्ट–8

प्ररूप–23

{देखिये नियम 35–ख का उप–नियम (1) }

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*वार्ड संख्या ——————————————से ———————————ग्राम पंचायत के पंच ————————————————*सरपंच, ग्राम पंचायत ———————————————*वार्ड संख्या ——————से ——————पंचायत समिति के सदस्य *वार्ड संख्या —————————से —————————जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन ।

मैं, ———————————जो उपर्युक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हूं, ————————— का, जो उपर्युक्त उम्मीदवार है/निर्वाचन अभिकर्ता हूं इसके द्वारा ———————————————————(नाम तथा पता) को ————————————————पर स्थित मतदान केन्द्र संख्या ——————पर हाजिर रहने के लिये गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं ।

स्थानः ——————————————————

तिथिः <u>उम्मीदवार/निर्वाचन</u> अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं /हम गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं।हैं

स्थानः ——————————————————

तिथिः गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित की जाने वाली घोषणा

मैं /हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं /करते हैं कि <u>मै/हम</u> उपरोक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा।/करेंगे।

मेरे सामने हस्ताक्षारित किया गया । ——————————————

गणन अभिकर्ता /अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

स्थानः ——————————————

तिथि रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

परिशिष्ट–9

मतपत्र का नमूना

पंचायत निर्वाचन–सरपंच

ग्राम पंचायत ___________ खण्ड ____________ जिला__________

मतदाता का अनुक्रमांक ________________

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रतिपर्ण

पंचायत निर्वाचन–सरपंच

अमर सिंह

राम चन्द्र

महेन्द्र सिंह

मतपत्र

परिशिष्ट–10

मतदान केन्द्र की आतंरिक व्यवस्था और मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था

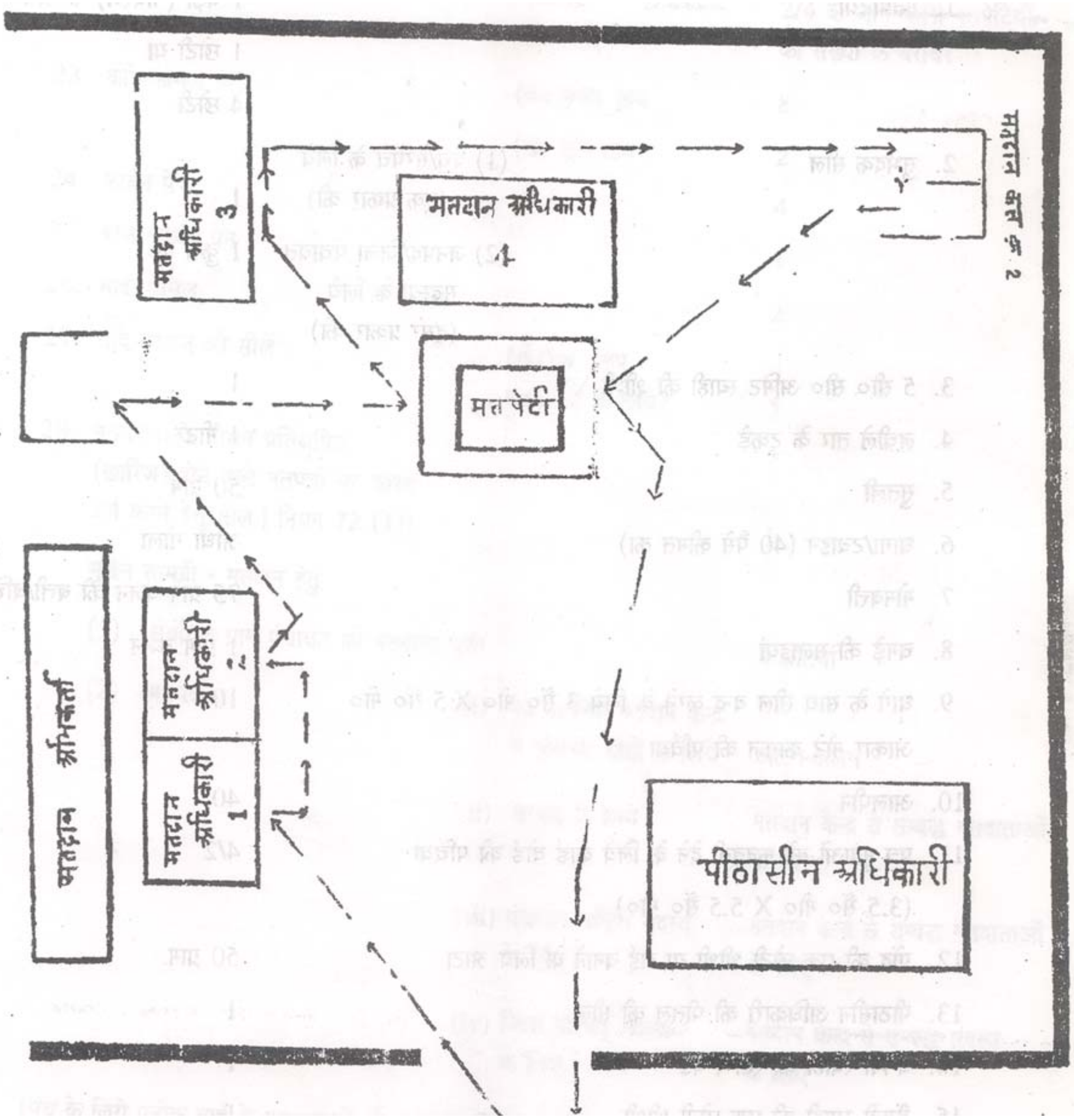

परिशिष्ट–11
प्ररूप–13
(देखिये नियम 56)
मतपत्र लेखा

चुनाव ——————————————————————————————

ग्राम पंचायत ————————————————————————————

पंच वार्ड संख्या ——————————————————————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————————————————

वार्ड संख्या ——————————————————से पंचायत समिति का सदस्य

वार्ड संख्या ———————————————————से जिला परिषद का सदस्य

मतदान केन्द्र संख्या —————————————————————————

		क्रम संख्या (1)	कुल संख्या (2)
1.	मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये मतपत्रों की संख्या		
2.	मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की संख्या		
3.	वापस किये गये अप्रयुक्त मतपत्रों की संख्या		
4.	रदद किये गये मतपत्रों की संख्या		
5.	उपयोग में लाये गये निविदत मतपत्रों की संख्या		
6.	मतपेटी में मतपत्रों की संख्या		

स्थान:...........................
दिनांक: ....

....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–12

पंचायत निर्वाचन

मतपत्र लेखा की पावती

मैने निम्नांकित मतदान अभिकर्ताओ को, जो मतदान के बन्द होने पर, मतदान केन्द्र पर उपस्थित थे और जिन्होनें नीचे हस्ताक्षर किये हैं, मतपत्र लेखा की एक –एक अभिप्रमाणित सत्य प्रति दे दी है ।

दिनांकः–

हस्ताक्षर––––––––––
नाम –––––––––––
पीठासीन अधिकारी––––––
मतदान केन्द्र क्रमांक –––––––

मतपत्र लेखा की एक अभिप्रमाणित सत्य प्रति प्राप्त की :–

(1) अभ्यर्थी श्री ____________________ का मतदान अभिकर्ता ____________

(2) अभ्यर्थी श्री ____________________ का मतदान अभिकर्ता ____________

(3) अभ्यर्थी श्री ____________________ का मतदान अभिकर्ता ____________

(4) अभ्यर्थी श्री ____________________ का मतदान अभिकर्ता ____________

(5) अभ्यर्थी श्री ____________________ का मतदान अभिकर्ता ____________

2. निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान के बन्द होने पर उपस्थित थे, मतपत्र लेखा की अभिप्रमाणित सत्य प्रति प्राप्त करने और उसके लिये रसीद लेने से इन्कार कर दिया :–

(1) अभ्यर्थी श्री ____________________ का मतदान अभिकर्ता __________

(2) अभ्यर्थी श्री ____________________ का मतदान अभिकर्ता ____________

(3) अभ्यर्थी श्री ____________________ का मतदान अभिकर्ता ____________

दिनांकः––––––––––

हस्ताक्षर–––––––
पीठासीन अधिकारी––––––
मतदान केन्द्र कमांक–––––––

परिशिष्ट–13

पंचायत निर्वाचन
निर्वाचन का प्रमाण पत्र

मैं,* जिला परिषद्/पंचायत समिति/सरपंच/पंच ____________________ जिला ____________________ के लिये रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने ____________________(वर्ष) के ____________________ (माह) की दिनांक ____________________ को यह घोषित कर दिया है कि श्री/श्रीमति/कुमारी ____________________ पता ____________________ जिला परिषद्/पंचायत समिति/सरपंच/पंच ____________________ के वार्ड कमांक ____________________ से सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैने उन्हें यह निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है ।

स्थान
दिनांकः–

हस्ताक्षर––––––––––
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
नाम –––––––––––
सील––––––––––––

***जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिये।**

परिशिष्ट–14

प्ररूप–11

(देखिये नियम 48)

आक्षेप किये गये मतों की सूची

निर्वाचन के दौरान चुनौती किये गये मतों का विवरण –––––––

ग्राम पंचायत का पंच ––––––––––––––––––––––वार्ड संख्या ––––––––––––––––

सरपंच, ग्राम पंचायत –––

वार्ड संख्या –––––––––––––––––––––––––––––––––––से पंचायत समिति के सदस्य

वार्ड संख्या ––––––––––––––––––––––––––––––से जिला परिषद का सदस्य मतदान केन्द्र संख्या

––––––––––––––––––स्थान ––––––––––––––––––––––––––

क्र0 सं0	मतदाता का नाम	मतदाता की सूची में क्र0स0	ग्राम का नाम जिससे मतदाताओं की सूची सम्बन्धित है	चुनौती देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5

आक्षेप किये गये व्यक्ति का पता	पहचानने वाले व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो	आक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप की प्राप्त हुई वापसी पर चुनौती व्यक्तियों के हस्ताक्षर
6	7	8	9	10

स्थान :...

दिनांक:..

....

*जो लागू न हो उसे काट दिया जाये ।

....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर